

44th

Annual Report



44 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.
3rd Floor, Pant Krish Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781
Tel-0141-2227665, 2227514, www-rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राजस्थान स्टेट सीड़स का निदेशक मण्डल:—

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	DIN/PAN (निदेशक पहचान संख्या / PAN)
1	माननीय श्री धीरज गुर्जर	अध्यक्ष	09657457
2	श्री जसवन्त सिंह	प्रबन्ध निदेशक	08383856
3	श्री काना राम	निदेशक	09604112
4	श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा	निदेशक	08749333
5	श्री चेतन राम देवड़ा	निदेशक	03519997
6	श्री महेश कुमार वर्मा	निदेशक	09482196
7	श्री कुलदीप सिंह	निदेशक	06395057
8	श्री मुकेश कुमार जाट	निदेशक	08602179
9	डॉ पी. एस. शेखावत	निदेशक	08897934
10	डॉ शाति कुमार शर्मा	निदेशक	09283074
11	श्री सीता राम सैनी	निदेशक	09011840
12	श्री मोमराज विश्नोई	निदेशक	09009591
13	श्री राजेश कुमार पुनियाँ	निदेशक	09018819
14	श्री सुवा लाल यादव	निदेशक	09029096

महाप्रबन्धक

श्री के० सी० मीणा

कम्पनी सचिव

श्री राकेश मामनानी

वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

श्री मनमोहन मीणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेशन रोड, जयपुर

अंकेक्षक

मै. गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जयपुर।

पंजीकृत कार्यालय :—

CIN- U75132RJ1978SGC001781

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड, जयपुर-302005

Tel- 0141-2227665, 2227514, Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	
		हिन्दी	अंग्रेजी
1.	सूचना व टिप्पणियां	3-7	
2.	निदेशकों का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन तथा साचिविक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर निदेशक का प्रत्युत्तर	8-23	24-30
3.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	31-44	72-85
4.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर निदेशकों का प्रत्युत्तर		86
5.	तुलन-पत्र	45	87
6.	लाभ हानि खाता	46	88
7.	नकद प्रवाह विवरण पत्र	47	89
8.	अनुसूची (तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता)	48-59	90-101
9.	लेखा-नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां	60-71	102-114
10.	महालेखा परीक्षक की टिप्पणी		

राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर – 302005

CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.org

44वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की चौवालीसवीं (44वीं) वार्षिक साधारण सभा, मंगलवार दिनांक 27 दिसम्बर 2022 को मध्याह्न 12:15 बजे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, टोंक रोड, दुर्गापुरा जयपुर में निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन के उद्देश्य से होनी निश्चित की गई है:—

साधारण कार्य:—

- 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के निदेशकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, साचिविक अंकेक्षक की रिपोर्ट, अंकेक्षित तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता तथा उस पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।
- साम्य अंशों पर वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश की घोषणा के निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—

“पारित किया जाता है कि निगम के निदेशक मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 23.11.2022 के निर्णयानुसार 20.12.2022 (रिकॉर्ड डेट) को निगम के लेखों में उल्लेखित प्रदत्त साम्य अंश पूँजी पर 10 प्रतिशत की दर से वर्ष 2021–22 के लिए अंशधारियों को लाभांश दिये जाने का अनुमोदन किया जाता है”

- वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं फीस का निर्धारण करने हेतु निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—

‘पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम के वर्ष 2021–22 के लेखों के अंकेक्षण कार्य हेतु वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर की वैधानिक अंकेक्षण फीस एवम कर–अंकेक्षण फीस सहित रूपये 1,95,000/- प्रति वर्ष पर नियुक्ति की जाती है।’

- श्रीमति हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।

05. डॉ० पी. एस. शेखावत, निदेशक रिसर्च, स्वामी केशवानन्द, आर.ए.यू., बीकानेर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
06. डॉ० शान्ति कुमार शर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
07. श्री सीता राम सैनी, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
08. श्री मोमराज, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
09. श्री राजेश कुमार पूनियाँ, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
10. श्री सुवालाल यादव, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।

विशेष कार्य (साधारण प्रस्ताव):—

11. निम्न साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—
“पारित किया जाता है कि श्री काना राम, आयुक्त कृषि विभाग को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।”
12. निम्न साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—
“पारित किया जाता है कि श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।”
13. निम्न साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—
“पारित किया जाता है कि श्री धीरज गुर्जर, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त) को निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण की तिथि से निम्नानुसार प्रदत्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं का अनुमोदन किया जाता है:—

क्र. स.	मद	देय सुविधाएँ
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	रूपये 42,000/- एवं रूपये 34,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह
2	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु
3	चिकित्सा सुविधा	राज्यमंत्री को देय शुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार
4	यात्रा भत्ता	राज्यमंत्री को देय(एक वकास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता
5	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- 1. राज्य में रूपये 1000/-प्रतिदिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) 2. राज्य से बाहर रूपये 1250/- प्रतिदिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्राएं वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी।
6	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:-राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000/- कॉल्स प्रति दो माह में
7	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय राज्यमंत्रीगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय।

“यह भी पारित किया जाता है कि निगम के अध्यक्ष को उपरोक्तानुसार देय भत्ते व सुविधाओं के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा भविष्य में जारी निर्देशों को लागू करने हेतु निदेशक मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

स्थान: जयपुर

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

दिनांक: 23 नवम्बर, 2022

(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव
(M. No. F8834)

टिप्पणियाँ

- जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी है, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रतिपुरुष कर सकते हैं। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिनिधी परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
- अंशाधारियों से आग्रह है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
- सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से आग्रह है कि अपनी प्रश्नावली मीटिंग की तिथि से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी मीटिंग के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

स्थान:— जयपुर
दिनांक: 23 नवम्बर, 2022

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव
(M. No. F8834)

सूचना का परिणाम

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण

विषय वस्तु:- 11

श्री काना राम, आयुक्त कृषि विभाग को निदेशक मण्डल की 227वीं बैठक जो दिनांक 04.05.2022 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में डॉ० ओम प्रकाश, आयुक्त कृषि राजस्थान के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री काना राम, आयुक्त कृषि विभाग का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तु:- 12

श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर को निदेशक मण्डल की 226वीं बैठक जो दिनांक 07.01.2022 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में श्री सुरेन्द्र, कुमार जैन, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तु:- 13

शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(1)मं.मं. / 2021 जयपुर दिनांक 14. 03.2022 के द्वारा श्री धीरज गुर्जर, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राज्य मंत्री स्तर का दर्ज दिये जाने की माननीय राज्यपाल महोदय की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री गुर्जर को राज्य मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प.11(1)मं.मं. / 1999 दिनांक 30.11.2012 एवं 07.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ देय होगी।

क्र. स.	मद	देय सुविधाएँ
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	रूपये 42,000/- एवं रूपये 34,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह
2	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से वाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु
3	चिकित्सा सुविधा	राज्यमंत्री को देय शुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार
4	यात्रा भत्ता	राज्यमंत्री को देय(ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता
5	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- 1. राज्य में रूपये 1000/-प्रतिदिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) 2. राज्य से बाहर रूपये 1250/- प्रतिदिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्राएं वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी।
6	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:-राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000/- कॉल्स प्रति दो माह में
7	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय राज्यमंत्रीगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय।

शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-1/इनपुट) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(3)/कृषि-1/ इनपुट/2017 जयपुर दिनांक 21.04.2022 की अनुपालना में माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसीड़स, के वेतन एवं प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय कृषि विभाग (प्रशासनिक विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्थान स्टेट सीड़स कार्पोरेशन, जयपुर द्वारा वहन किये जाने के सन्दर्भ में आदेशित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसीड़स को राज्यमंत्री स्तर के रूप में सचिवालय के आज्ञा संख्या प.11 (1) म.मं. ?1999 दिनांक 30.11.2012 एवं 07.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ एवं अन्य भत्तों का भुगतान राजस्थान स्टेट सीड़स कार्पोरेशन लिमिटेड से किये जाने का अनुमोदन प्रस्तावित है।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक का हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं है।

स्थान:— जयपुर
दिनांक:— 23 नवम्बर, 2022

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव
(M. No. F8834)

निदेशकों का प्रतिवेदन

माननीय सदस्यगण,

निगम के निदेशकगण को चौवालीसवाँ (44वाँ) वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित लेखों का विवरण, वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, एवम् अंकेक्षकों द्वारा दर्शाये गये विभिन्न बिन्दुओं के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

01. वर्ष के वित्तीय समीक्षा:-

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणाम	2021-22	2020-21
बिक्री	27527.61	26692.37
अन्य आय	316.83	415.92
कुल आय	27844.44	27108.29
कुल व्यय	25401.63	25721.39
लाभ / हानि / (+) / (-) अन्य विशिष्ट मद एवं कर से पूर्व	(+) 2442.81	(+) 1386.90
पिछले वर्ष की आय / (खर्च)	53.05	25.63
लाभ / हानि / (+) / (-) कर से पूर्व	(+) 2495.86	(+) 1412.53
घटाइये: आयकर हेतु प्रावधान	717.13	362.18
कर पश्चात् लाभ (+) / हानि (-)	(+) 1778.73	(+) 1050.35

वर्ष 2021-22 में आयकर प्रावधान पश्चात् 1778.73 लाख रुपये का लाभ रहा जो गत वर्ष के लाभ 1050.35 लाख रुपये से 728.38 लाख रुपये ज्यादा है तथा संचित लाभ गत वर्ष तक के संचित लाभ 14,072.56 लाख रुपये से बढ़कर 15,778.60 लाख रुपये हो गये हैं, जो गत वर्ष से संचित लाभ से 1,706.04 लाख रुपये अधिक है।

02. लाभांश

आपके निदेशक निगम की चुकता पूँजी रुपये 759.28 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये 10 प्रतिशत की दर से रुपये 75.93 लाख जिस पर लाभांश कर शून्य रुपये बनता है, पर लाभांश दिये जाने की घोषणा करते हैं। निगम द्वारा उक्त लाभांश हेतु रुपये 75.93 लाख एवं लाभांश कर हेतु शून्य रुपये के भुगतान का समायोजन वर्ष 2021-22 के लेखों में किया गया है।

03. वित्तीय स्रोत

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में निगम की पूँजी का संगठन निम्न प्रकार है:-

(रुपये लाखों में)

राजस्थान सरकार	633.00
राष्ट्रीय बीज निगम	113.93
अन्य	12.35
कुल योग	759.28

04. अंकेक्षण समिति

निगम की अंकेक्षण समिति का गठन निदेशक मण्डल की 137वीं बैठक जो दिनांक 29 मार्च, 2001 को हुई, में किया गया था। अंकेक्षण समिति की बैठक का समय—समय पर पुनर्गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मण्डल की 222वीं बैठक जो दिनांक 25 मार्च, 2021 को हुई, में अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में अंकेक्षण समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

1. श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1)	सदस्य
4. श्री सीताराम सैनी, निदेशक	सदस्य
5. श्री मोमराज विश्नोई, निदेशक	सदस्य

अंकेक्षण समिति की सभा वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 24.09.2021 तथा 30.03.2022 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सदस्यों द्वारा अंकेक्षण समिति की उपस्थिति इस प्रकार है—

अंकेक्षण समिति के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
डॉ०, ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि विभाग (26.06.2019 से 20.03.2022 तक)	1	1
श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से निरन्तर)	1	1
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, (30.01.2019 से निरन्तर)	2	2
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से निरन्तर)	2	0
श्री सीताराम सैनी (28.12.2020 से निरन्तर)	2	1
श्री मोमराज विश्नोई (28.12.2020 से निरन्तर)	2	1

05. सी० एस० आर० समिति

निगम की Corporate Social Responsibility Committee का गठन निदेशक मण्डल की 192वीं बैठक जो दिनांक 23.12.2014 को हुई, में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मण्डल की 222वीं बैठक जो दिनांक 25 मार्च, 2021 को हुई, में Corporate Social Responsibility Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Corporate Social Responsibility Committee के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

1. आयुक्त, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1)	सदस्य
4. श्री सीताराम सैनी, निदेशक	सदस्य
5. श्री मोमराज विश्नोई, निदेशक,	सदस्य

Corporate Social Responsibility Committee की बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक बैठक की गई थी, जो दिनांक 07.01.2022 को रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सदस्यों द्वारा Corporate Social Responsibility Committee की उपस्थिति इस प्रकार है—

Corporate Social Reasonability Committee के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
डॉ०, ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि विभाग (26.06.2019 से 20.03.2022 तक)	1	1
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, (30.01.2019 से निरन्तर)	1	1
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से निरन्तर)	1	1
श्री सीताराम सैनी (28.12.2020 से निरन्तर)	1	1
श्री मोमराज विश्नोई (28.12.2020 से निरन्तर)	1	1

06. Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee

निगम की Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का गठन निदेशक मण्डल की 196वीं बैठक जो दिनांक 22.09.2015 को हुई, में किया गया था। था। वित्तीय वर्ष 2019–20 में निदेशक मण्डल की 222वीं बैठक जो दिनांक 25 मार्च, 2021 को हुई, में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

1. डॉ०, ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1)	सदस्य
4. श्री राजेश कुमार पूनियाँ, निदेशक	सदस्य
5. श्री सुवा लाल यादव, निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee की एक भी बैठक अपरहार्य कारणों द्वारा नहीं की जा सकी। आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कमेटी की बैठक कर दी जावेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत अन्य सूचना शून्य है।

07. निदेशक मण्डल:

वर्तमान में निदेशक मण्डल में माननीय श्री धीरज गुर्जर (01.03.2022 से निरन्तर) अध्यक्ष पद पर आसीन है। श्री जसवन्त सिंह (30.01.2019 से निरन्तर) प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन है तथा श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से निरन्तर) निगम के निदेशक पद पर आसीन है। इसके साथ ही श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (08.04.2021 से निरन्तर), श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (03.01.2022 से निरन्तर), श्री चेतन राम देवड़ा, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (20.04.2022 से निरन्तर), श्री मुकेश कुमार जाट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (31.08.2022 से निरन्तर), डॉ० शान्ति कुमार शर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (25.03.2021 से निरन्तर), डॉ० पी. एस. शेखावत, निदेशक रिसर्च, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (12.05.2020 से निरन्तर), श्री सीताराम सैनी (28.12.2020 से निरन्तर), श्री मोमराज विश्नोई (28.12.2020 से निरन्तर), श्री राजेश कुमार पूनियाँ (28.12.2020 से निरन्तर) तथा श्री सुवा लाल यादव (28.12.2020 से निरन्तर) निदेशक के पद पर आसीन हैं।

डॉ० ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि विभाग (03.07.2019 से 01.03.2022 तक) अध्यक्ष पद पर आसीन रहें। डॉ० ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि विभाग (26.06.2019 से 20.03.2022 तक) सुश्री पूजा कुमारी पार्थ, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (23.09.2019 से 08.04.2021 तक), श्री अभिमन्यु कुमार, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (08.07.2021 से 19.01.2022 तक), श्री मेघराज रत्नू, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (06.01.2021 से 08.07.2021 तक तथा 19.01.2022 से 20.04.2022 तक), श्री सुरेन्द्र, कुमार जैन, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (01.03.2019 से 03.01.2022 तक), श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, (27.03.2015 से 30.09.2021 तक), श्री अवधेश कृष्ण शर्मा, क्षैत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (24.09.2019 से 31.08.2022 तक), निदेशक पद पर आसीन रहे।

अतः निदेशकों के कार्यकाल में उनके द्वारा दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद तथा प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।

08. निदेशक मण्डल की बैठकें

निदेशक मण्डल की वित्तीय वर्ष 2021-22 में चार बैठकें की गई, जो दिनांक 08.07.2021, 02.09.2021, 29.09.2021 तथा 07.01.2022 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सदस्यों द्वारा निदेशक मण्डल की उपस्थिति इस प्रकार हैः—

निदेशकों के नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
माननीय श्री धीरज गुर्जर, (01.03.2022 से निरन्तर)	0	0
डॉ० ओमप्रकाश, आयुक्त, कृषि विभाग, (26.06.2019 से 20.03.2022 तक)	4	4
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक (02.01.2019 से निरन्तर)	4	4
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से निरन्तर)	4	3
श्री अभिमन्यु कुमार, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (08.07.2021 से 19.01.2022 तक)	4	4
श्री मेघराज रत्नू, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (06.01.2021 से 08.07.2021 तक तथा 19.01.2022 से 20.04.2022 तक)	0	0
श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक RSSOPCA (03.01.2022 से निरन्तर)	1	0
श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, निदेशक (01.03.2019 से 03.01.2022 तक)	3	3
श्री विनोद कुमार गौड़, निदेशक (27.03.2015 से 30.09.2021 तक)	3	0
श्री अवधेश कृष्ण शर्मा, निदेशक (24.09.2019 से 31.08.2022 तक)	4	2
डॉ० पी० एस० शेखावत, निदेशक (12.05.2020 से निरन्तर)	4	3
डॉ० शान्ति कुमार शर्मा, निदेशक (27.12.2017 से निरन्तर)	4	1
श्री सीताराम सैनी, निदेशक (28.12.2020 से निरन्तर)	4	3
श्री मोमराज विश्नोई, निदेशक (28.12.2020 से निरन्तर)	4	3
श्री राजेश कुमार पूनियाँ, निदेशक (28.12.2020 से निरन्तर)	4	3
श्री सुवा लाल यादव, निदेशक (28.12.2020 से निरन्तर)	4	1

09. Directors' Responsibility Statement:-

In term of Section 134 of the Companies Act, 2013, the Directors would like to state that:

1. In the preparation of the annual accounts, the application accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
2. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of the company for the year at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the period;
3. The directors have proper and sufficient care for the maintenance of accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
4. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
5. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

10. ANNUAL RETURN

Pursuant to section 134(3)(a) and section 92(3) of the Act read with companies (Management and Administration) Rules 2014, the link of annual return of the company in Form MGT-7 is:- <http://www.rajseeds.org/>

11. SECRETARIAL STANDARD

The applicable Secretarial Standards, i.e. SS-1 and SS-2, relating to Meetings of the Board of Directors and General Meetings respectively, have been duly followed by the company.

12. निगम का संचालन:-

➤ आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन:-

वित्तीय वर्ष 2022–23 अन्तर्गत खरीफ 2022 में आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन अन्तर्गत विभिन्न फसलों के 235564 किंव. बीज उत्पादन हेतु 27423 हैक्टेयर क्षेत्र में आवंटन लक्ष्य जारी किये गये है, जिसके विरुद्ध 14892 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अनुमानित उपज की सूचना इकाईयों से प्राप्त होना शेष है। अतः बोये गये क्षेत्र के आधार पर लगभग 205300 किंव. आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 अन्तर्गत रबी 2022–23 में आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु विभिन्न फसलों के 539075 किंव. बीज उत्पादन हेतु 28992 हैक्टेयर में आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु आवंटन लक्ष्य जारी किये गये है। रबी सीजन में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बुवाई कार्य जारी हैं।

➤ बीज गांव योजना प्रगति:-

एस.एम.एस.पी. बीज गांव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत खरीफ 2022 में 1674.10 किंव. मूँग एवं मोठ बीज को 22722 कृषकों में वितरित कर लाभान्वित किया जा चुका है एवं रबी 2022–23 में एम. बी.एस.वाई. एवं एस.एम.एस.पी. बीज गांव योजना को एक साथ कर गेहूँ वितरण लक्ष्य 15000 किंव., चना 19177 किंव. एवं जौ 140 किंव. कृषि आयुक्तालय द्वारा निर्धारित कर वर्तमान में अधिक से अधिक कृषकों को शामिल कर बीज वितरण कार्य कर लाभान्वित किया जा रहा है।

➤ फार्म ठेकों से आयः—

राजसीड़स के अधीन फार्म ठेको से वर्ष 2021—22 में राशि रु. 226.84 लाख की आय हुई है।

➤ उत्पादन में निगम की भावी योजनाएँ :

01. राजस्थान में बीज उत्पादन एवं विपणन क्षेत्र में राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का महत्वपूर्ण स्थान है। निगम गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु निगम द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
02. वर्ष 2022—23 में संकर मक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले में 753 हैक्टेयर क्षेत्र में 7530 किंव. प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु लिया गया है।
03. प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुधार हेतु निगम द्वारा खरीफ 2021 एवं रबी 2021—22 में उत्पादित प्रमाणित बीजों का जी.ओ.टी. परीक्षण करवाया गया है। इस प्रक्रिया को निरन्तर रखते हुये वर्ष 2022—23 में भी उत्पादित प्रमाणित बीजों का जी.ओ.टी. कराया जायेगा।

➤ विधायन एवं भण्डारण :

01. वर्तमान (वर्ष 2022) में निगम की 22 इकाईयां एवं 5 बीज विस्तार केन्द्र स्थापित हैं। जिनकी कुल विधायन क्षमता 20.74 लाख किंव. एवं भण्डारण क्षमता 10.21 लाख किंव. प्रतिवर्ष है।
02. बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु सुल्तानपुर (कोटा), गुढ़मालानी (बाड़मेर) बानसूर (अलवर), बून्दी एवं भवानीमण्डी (झालावाड़) में बीज विस्तार केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। बानसूर (अलवर), बून्दी एवं भवानीमण्डी (झालावाड़) बीज विस्तार केन्द्रों पर मशीन स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

➤ विपणनः:

राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जायद एवं खरीफ 2021 में 79996 विंटल एवं रबी 2021—22 में 342423 विंटल बीजों का विक्रय किया गया है। इस प्रकार कुल 422419 विंटल बीजों का विक्रय किया गया है। खरीफ 2022 में लगभग 84841 विंटल बीज विक्रय हो चुका है। रबी 2022—23 में लगभग 257537 विंटल बीजों के विक्रय की योजना है। राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों की मॉग के अनुसार अधिसूचित एवं सत्यचिन्हित किस्मों के बीजों का विपणन किया गया है। रबी 2021—22 में जौ के 1223.90 किंव. मिनिकिट एवं जई के 400 किंव. मिनिकिट बीज की आपूर्ति की गई। खरीफ 2021 में बाजरा के 1874 किंव., ग्वार के 399.76 किंव., मूंगफली के 500 किंव. एवं मूँग के 2400 किंव. के मिनिकिट बीज की आपूर्ति की गई।

13. भावी योजनाएँ :

➤ विपणनः:

(अ) निजी क्षेत्रः

राजसीड़स के बीजों की उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बीज अधिनियम 1966 के तहत सभी बीज अनुज्ञापत्र धारक विक्रेताओं के अधिकृत / प्रतिबद्ध विक्रेताओं के रूप में नियुक्ति के प्रावधान किये हुये हैं। राजस्थान के किसानों को प्रमाणित बीज दूर दराज के गांवों में सुगमता से प्राप्त होने के मामले में निजी विक्रेताओं एवं समस्त सहकारी संस्थाओं को राजसीड़स के विक्रेता के रूप में शामिल किया गया है। इससे राजसीड़स का

विपणन तंत्र बीज व्यवसाय से संबंधित अन्य संस्थाओं से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ है।

(ब) सहकारी क्षेत्रः

सहकारी विपणन तंत्र (के.वी.एस.एस.) का भी अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। समर्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इन संस्थानों द्वारा राजसीड्स का विपणन किसानों को किया जाता है। सहकारी संस्थाओं द्वारा भविष्य में इसे और बढ़ाने के निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में अनुमानित दर पर बीज सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

(स) प्रचार प्रसारः

- निगम द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रचार-प्रसार में गतिविधियों पर 3.25 लाख रुपये खर्च किया गया है।
- निगम द्वारा बीजों के प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत बीजरथ, पम्पलेट, फोल्डर, पोस्टर, डिस्प्ले, विज्ञापन मीडिया, फ्लैक्स प्रिंटिंग एवं बैकड्राप पैनल्स, होर्डिंग एवं किसान गोष्ठी आदि गतिविधियों हेतु 2.00 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

14. ऑडिटर द्वारा प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी :-

➤ वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन :-

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों पर निदेशक मण्डल का प्रत्युत्तर परिशिष्ट “अ” अनुसार।

➤ Secretarial Audit Report:-

Secretarial Audit Report में उठाई गई आपत्तियों पर निदेशक मण्डल का प्रत्युत्तर परिशिष्ट “ब” अनुसार।

15. Independent Directors

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 में Independent Directors की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस संदर्भ में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की कार्यवाही करने के लिये आवेदन प्राप्त करने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बैठक से प्राप्त हो चुका है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

16. Corporate Social Responsibility Policy

गत वित्तीय वर्षों में पर CSR Policy पर खर्च की जाने वाली कुल राशि रुपये 8,99,909/- तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने वाली राशि रु. 22,21,469/- को जोड़कर अब निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने वाली कुल योग राशि रुपये 31,21,378/- उपलब्ध थी। इसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जागरसा, जिला बाड़मेर को विद्यालय में प्रोजेक्टर सहित अत्याधुनिक अन्य सुविधाओं की चोरी होने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा अन्य नुकसान होने की सम्भावना होने की सम्भावना से उनकी सुरक्षा हेतु विद्यालय पर CCTV Camera लगाने तथा 15KW का एक सोलर सिस्टम लगाने हेतु रु0 15 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में श्री कपिलदेव राजकीय जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना को चिकित्सालय की सुविधाओं को बेहतर करने एवं क्षेत्र की जनता को निशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाने के लिये निगम के CSR Fund से अस्पताल को एक LEPROSCOPIC SET INCLUDING BIPOLEAR CAUTERY MACHINE उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 15 लाख तक की की राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके लिये उक्त चिकित्सालय को निगम की ओर से रुपये 10 लाख तक की

राशि अग्रिम उपलब्ध करवाई गई थी तथा शेष राशि रुपये 1,92,799/- उनके उक्त उपकरण के बिल उपलब्ध करवाने पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में दी जा चुकी है। अतः निगम को उक्त चिकित्सालय को अनुमोदित राशि ₹0 15 लाख में से रुपये 3,07,201/- की बचत हुई है, जिसके कारण उक्त राशि से CSR Fund में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में संत श्री राजाराम राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, बाड़मेर को डिजिटल एक्सरे मशीन खरीदने हेतु निगम की ओर से रुपये 10 लाख तक की राशि अग्रिम उपलब्ध करवाई गई थी, किन्तु उनके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त उपकरण की वास्तविक लागत रुपये 6,42,524/- ही आई थी तथा शेष राशि रुपये 3,57,476/- उनके द्वारा निगम को लौटा दी गई है, जिसके कारण भी उक्त राशि रुपये 3,57,476/- से निगम के CSR Fund में वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में CSR Policy के लिये राशि ₹0 8,99,909/- तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने वाली राशि ₹. 22,21,469/- में संत श्री राजाराम राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, बाड़मेर द्वारा खरीदी गई डिजिटल एक्सरे मशीन के पश्चात् निगम को लौटाई गई शेष राशि रुपये 3,57,476/- तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 श्री कपिलदेव राजकीय जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना को उपलब्ध करवाये गये चिकित्सा उपकरण पश्चात् प्राप्त शेष राशि रुपये 3,07,201/- के समायोजन पश्चात् CSR Policy के लिये व्यय की जाने वाली राशि ₹0 7,86,055/- शेष रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जागसा, जिला बाड़मेर को CCTV Camera लगाने तथा 15KW का एक सोलर सिस्टम लगाने हेतु ₹0 15 लाख की राशि वास्तविक लागत 15 लाख से कम होने पर बची शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त CSR Policy के अनुसार खर्च कर लिये जावेंगे।

17. TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 134 (3) (J) OF THE COMPANIES ACT, 2013

The board does not propose any amount to carry to any specific reserves.

18. CHANGES IN NATURE OF BUSINESS

There are no significant changes had been made in the nature of the company during the financial year.

19. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURRED BETWEEN THE DATE OF BALANCE SHEET AND THE DATE OF AUDIT REPORT

No significant material changes and commitments have occurred between the date of the balance sheet and the date of the audit report.

20. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS/COURTS/ TRIBUNALS

The significant and material orders passed by Regulators/Court/Tribunals against the company are as explained in the further sections of this annual report.

21. ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company has in place proper and adequate internal control systems commensurate with the nature of its business, size and complexity of its operations. Internal control systems comprising of policies and procedures are designed to ensure liability of financial reporting, timely feedback on

achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedure, applicable laws and regulations, and that all assets and resources are acquired economically, used.

22. SUBSIDIARY/ JOINT VENTURES/ ASSOCIATE COMPANIES AND THEIR PERFORMANCE

There is no Subsidiary company or Joint Venture or Associate Companies of the Company.

23. DEPOSITS

During the financial year, Company has not accepted any type of deposits. Neither, any type of deposits of previous year is Unpaid or Unclaimed during the financial year.

24. SHARE CAPITAL

During the financial year, the Company had not issued any Equity Shares with Differential rights, any Sweat Equity Shares and any Employee Stock Options.

25. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION, AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

A) Conservation of Energy: Nil

B) Technology Absorption: Nil

C) Foreign Exchange earnings and outgo:

The company has no foreign exchange earnings and outgo transactions during the current financial year.

26. LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:-

The Company has made following loans and Investments and has given following guarantees in compliance of section 186 of the Companies Act, 2013 during the financial year:- NIL

27. CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:-

Details in Form No AOC-2 for transaction entered with the related parties at on arm length or non-arm length basis are NIL.

28. RISK MANAGEMENT POLICY

Risks are event, situation or circumstances which may lead to negative consequences on the company's businesses. Risk management is a structured approach to manage uncertainty. A formal enterprise wide approach to Risk Management is being adopted by the company and key risks will now be managed within unitary framework. As a formal roll-out, all business divisions and corporate function will embrace risk management policy and guidelines, and make use of these in their decisions making. Key business risks and their mitigation are considered in the annual/strategic business plans and in periodic management reviews. The risk management process in our multi-business, multi-site operations, over the period of time will become embedded into the company's business systems and processes, such that our responses to risks remain current and dynamic.

29. KEY MANAGERIAL PERSONNEL

As of March 31, 2022, the following were the Key Managerial Personnel (KMP) of the Company as per Section 2(51) and 203 of the Act:-

Name of the person	Designation
Sh. Jaswant Singh	Managing Director
Sh. Rakesh mamnani	Company Secretary

During the year under review, there is no change in the Key Managerial Personnel of the Company.

30. POLICY ON NOMINATION & REMUNERATION

Pursuant to Section 134(3)(e) and Section 178(3) of the Companies Act, 2013, the policy on the appointment of Board members including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and the policy on remuneration of directors, KMP and other employees is available on the website of the Company at <http://www.rajseeds.org/>.

31. INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND –

Rs. 93,390/- was transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year for the financial year 2013-14.

32. REPORTING OF FRAUDS:

There was no instance of fraud during the year under review, which required the Statutory Auditors to report to the Audit Committee and/or Board under Section 143(12) of the Act and Rules framed thereunder.

33. VIGIL MECHANISM/WHISTLE BLOWER POLICY

The Company has a Whistle Blower Policy and has established the necessary vigil mechanism for directors and employees in conformation with Section 177(9) of the Act, to report concerns about unethical behaviour. The link of the Policy is <http://www.rajseeds.org/>.

34. Details of Remuneration to all the Directors:

Name of the Director	Salary, allowance, perquisites and other benefits	Commission	Stock Option	Pension	Sitting Fees Paid	Notice period and severance fees
Sh. Jaswant Singh	26,50,178	-	-	-	-	-
Sh. Dheeraj Gujar	86,000	-	-	-	-	-
Sh. Sitaram Saini	-	-	-	-	5000	-
Sh. Momraj	-	-	-	-	5000	-
Sh. Rajesh Kumar Poonia	-	-	-	-	2000	-
Sh. Suwa Lal Yadav	-	-	-	-	1000	-

35. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE(PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

During the year 2021-22, the Company had a duly constituted Internal Complaints Committee in place as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]. The information required under Section 21 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 is provided below:

a)	Committee formed as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]	Yes
b)	No. of complaints received during the year	NIL
c)	No. of complaints disposed of during the year	NIL
d)	No. of cases pending for more than 90 days	NIL
e)	No. of workshops or awareness programmes against sexual harassment carried out	NIL

36. PARTICULARS OF EMPLOYEES

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

37. OTHER DISCLOSURES

- There was no revision of financial statements and Board's Report of the Company during the year under review;
- There has been no change in the nature of business of the Company as on the date of this report;
- No application has been made under the Insolvency and Bankruptcy Code; hence the requirement to disclose the details of application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year along with their status as at the end of the financial year is not applicable;
- The details of difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof. NIL

आभार प्रदर्शन:

भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम एवं जैविक उत्पादन संस्था, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, केन्द्रीय भण्डारण व्यवस्था निगम, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजफैड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ऐक्सिस बैंक लि. आदि के प्रति उनके सतत् सहयोग एवं परामर्श के लिये आपके निदेशक आभारी हैं। बीज

उत्पादन कृषकों अधिकृत बीज विक्रेताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा निगम को सतत प्रश्रेय प्राप्त हुआ, के लिए भी निदेशकगण आभार प्रदर्शित करते हैं। और अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगन एवं कठिन परिश्रम से किये गये कार्यों की सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: जयपुर
दिनांक: 23 नवम्बर, 2022

(जसंवन्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

(सीता राम सैनी)
निदेशक
DIN 09011840

टिप्पणियां:—

- जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी हैं, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने लिये किसी व्यक्ति को प्रति पुरुष नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।
- प्रतिनिधि परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम 48 घण्टे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
- अंशधारियों से निवेदन है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
- सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से गुजारिश है कि अपनी प्रश्नावली बैठक की दिन से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी बैठक के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: जयपुर
दिनांक: 23 नवम्बर, 2022

(जसंवन्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

(सीता राम सैनी)
निदेशक
DIN 09011840

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) ACTIVITIES 2021-22

[Pursuant to Section 134(3) (o) of the Companies Act, 2013 and Rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]

1. A brief outline of the CSR Policy of the Company-

RSSCL's CSR policy shall be to ensure that CSR activities are not performed in isolation but that it be skilfully and tied woven into the fabric of the company's business strategy for overall value creation for all stakeholders. RSSCL believes that profitability must be complemented by a sense of responsibility towards all stakeholders with a view to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of the people, preferably in the immediate vicinity of the company's offices but at the same time ensure widespread distribution of its CSR activities befitting its status as a conscientious corporate citizen. The projects proposed to be undertaken may be in the area of Education, Health care, Sustainable livelihood, Infrastructure development, espousing social causes and Environmental protection etc.

1. Composition of the CSR Committee, number of meetings held on 07th January, 2022 during the year;

Name of Director	Designation	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
Dr. Om Prakash	Chairman	01	01
Sh. Jaswant Singh	Managing Director	01	01
Smt. Hem Pushpa Sharma	Director	01	01
Sh. Sita Ram Saini	Director	01	01
Sh. Momraj Vishnoi	Director	01	01

3. Provide the web link where the Composition of the CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company- <http://www.rajseeds.org/CSRPolicy.pdf>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8- not applicable.

5.

- a) Average net profits for the three immediately preceding years: Rs.11,10,73,410/-
- b) Two percent of the average net profit of the company as per section 135(5)- Rs.22,21,469/-
- c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years.- Rs.8,99,909/-

d) Amount required to be set off for the financial year if any. N.A.
 e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] Rs. 31,21,378/-

6.

a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)- Rs. 30,00,000/-
 b) Amount spent in Administrative Overheads: N.A.
 c) Amount spent on Impact Assessment: Not applicable
 d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. Rs.30,00,000/-
 e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
30,00,000/-	-	-	The unspent amount of Rs. 1,21,378/- is not transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year.		

f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(1)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	22,21,469/-
(2)	Total amount spent for the Financial Year	30,00,000/-
(3)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	-
(4)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	-
(5)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	-

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1 Sl. No.	2 Preceding Financial Year(s)	3 Amount transferred to unspent CSR Account under sub - section (6) of section 135 (in Rs.)	4 Balance Amount in Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 (in Rs.)	5 Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	6		7 Amount remainin g to be spent in succeedin g Financial Years (in Rs)	8 Defici ency, if any
					Amount (in Rs)	Date of Trans fer		
1.	FY-1 (2018-19)	-	-	-	-	-	34,66,580	-
2.	FY-2 (2019-20)	-	-	-	-	-	58,79,401	-
3.	FY-3 (2020-21)	-	-	63,95,000	-	-	8,99,909	-

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No
If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creat ion	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner						
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
									CSR Registra tion Number, if any	Name	Residentia l Address
									N.A.		

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135:**

There was no suitable proposal for Corporate Social Responsibility for the Financial Year 2020-21.

Sd/-
(Managing Director).

Sd/-
(Chairman CSR Committee)

Date: 23-11-2022

S. Monika & Associates
Company Secretaries

354, Mahaveer Nagar-1st
Tonk Road, Jaipur-18
Email:monika.sabnani@gmail.com
Hand Phone : 07737688198

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
Rajasthan State Seeds Corporation Limited,
(CIN: U75132RJ1978SGC001781)
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Bhagwan Das Road,
Jaipur - 302 005(Rajasthan)

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Rajasthan State Seeds Corporation Limited having corporate identity number U75132RJ1978SGC001781** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing opinion thereon.

Based on our verification of **Rajasthan State Seeds Corporation Limited, (Company's)** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year 01.04.2021 to 31.03.2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by **Rajasthan State Seeds Corporation Limited** for the financial year ended on 31.03.2022, according to the provisions of:

- (I) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not applicable to the Company during the audit period)**

S. Monika & Associates
Company Secretaries

354, Mahaveer Nagar-1st
Tonk Road, Jaipur-18
Email:monika.sabnani@gmail.com
Hand Phone : 07737688198

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992; (Repealed w.e.f. 15th May, 2015) **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations); **(Not applicable to the Company during the audit period)**
- (k) The Seeds Act, 1966

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (l) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s) **(Not applicable to the Company during the audit period)**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

1. *The Board report for the financial year ended 31st March, 2021 did not include the annual report on CSR activities as per the Annexure II of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014*

and not disclose the remuneration policy relating to the remuneration of directors, key managerial personnel and other employees and the evaluation criteria of independent directors. The disclosure on unspent amount of Corporate social responsibility for the financial year 2020-21 was not made in the board report for the financial year ended 31st March, 2021 in compliance of Section 134(3)(o) of the Companies Act, 2013.

2. As per the Provisions of second proviso of Section 135(5) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts of Companies) Rules, 2014 and Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014, the Company has not transferred the unspent amount for the financial year 2020-21 to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year. The CSR amount for the financial year 2021-22 could not be spent as on 31st March, 2022. Hence, The Company is in non-compliance of CSR provisions of the Companies Act, 2013.
3. The composition of board is not in accordance with the Companies Act, 2013, as the Company has not appointed at least 2 independent directors in compliance of Section 149 of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014. Due to the non-appointment of independent directors, the meeting of the independent directors could not be held during the audit period.
4. As per the provisions of Section 177 and 178 of the Companies Act, 2013, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee is not duly constituted as there is no independent director appointed in the Company.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were not sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

*Notice was not accompanied by attendance slip and a Proxy form with clear instructions for filling, stamping, signing and/or depositing the Proxy form in accordance with the provision of Secretarial Standard 1 and Secretarial standard 2.

**The minutes of Board Meetings, Committee meetings and general meetings is not stating the time of conclusion of the meeting/s in accordance with the provision of Secretarial Standard 1 and Secretarial standard 2.

S. Monika & Associates
Company Secretaries

354, Mahaveer Nagar-1st
Tonk Road, Jaipur-18
Email:monika.sabnani@gmail.com
Hand Phone : 07737688198

*** In the 43rd Annual General Meeting held on 21st December, 2021, only 7 directors were present in the meeting out of 11 directors and 4 directors were unable to attend the meeting but no reasons were explained by the chairman in the meeting in compliance of secretarial standards. The minutes of the 43rd Annual General Meeting held on 21st December, 2021 is not stating the name of Company Secretary.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that:

There are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For S. Monika & Associates
Company Secretaries
ICSI Unique Code: S2017RJ541200
UDIN: A043105D002043279

Place: Jaipur
Date: 22.11.2022

sd/
Monika Sabnani
(Proprietor)
ACS 43105
CP No. 16549

S. Monika & Associates
Company Secretaries

354, Mahaveer Nagar-1st
Tonk Road, Jaipur-18
Email:monika.sabnani@gmail.com
Hand Phone : 07737688198

To,
The Members,
Rajasthan State Seeds Corporation Limited,
(CIN: U75132RJ1978SGC001781)
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Bhagwan Das Road,
Jaipur - 302 005 (Rajasthan)

Annexure-I

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. The Company is a Government Company as defined under Section 2(45) of the Companies Act, 2013.
2. The compliance of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to **Rajasthan State Seeds Corporation Limited** (the 'Company') is the responsibility of the management of the Company. Our examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
3. Maintenance of secretarial and other records of applicable laws is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Company, along with explanations where so required.
4. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial and other legal records, legal compliance mechanism and corporate conduct. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the processes and practices we followed, provides a reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
5. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
6. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and major events during the audit period.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S. Monika & Associates
Company Secretaries
ICSI Unique Code: S2017RJ541200
UDIN: A043105D002043279

Place: Jaipur
Date: 22.11.2022

sd/
Monika Sabnani
(Proprietor)
ACS 43105
CP No. 16549

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

परिशिष्ट “अ”

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 का प्रत्युत्तर

योग्य राय का आधार

1. यह बिन्दु महत्वपूर्ण लेखा नितियों के नोट संख्या-23 के बिन्दु संख्या-43 (ब) में दर्शा रखा है।

मुख्य अंकेक्षण मामले

1. यह लगातार चालू/चल रहे खाते हैं, जिनके लिए हम पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रयासरत हैं।
2. तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3. कम्पनी के द्वारा प्रारम्भ से ही लेखा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। लेखानीति एवं कार्य प्रणाली के अनुसार निगम द्वारा इकाईयों का वार्षिक रिपोर्ट/आर्थिक विवरण का भाग लाभ हानि खाता विवरण इकाईवार तैयार नहीं किया गया है। स्कन्ध स्थानान्तरण का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए लाभ हानि तथा/या/कि गणना की जा सकती है लेकिन यह निगम के लेखों का हिस्सा नहीं है।
4. केवल सरकारी विभागों को उधार पर माल का विक्रय किया जाता है एवं निजी विक्रेताओं को उधार पर दिये गये माल की राशि पर इकाईयों द्वारा ब्याज की वसूली करते हुये तदानुसार खातों में समायोजन किया जाता है।
5. लेखा मानक 28 के अनुसार 31.3.2022 को कोई स्थायी सम्पत्ति ईम्पयरेबल नहीं हैं। भविष्य में यदि कोई सम्पत्ति ईम्पयरेबल होने पर लेखा मानक 28 के अनुसार अनुसरण कर लिया जायेगा।
6. मामला सी.एस.आर. कमेटी के समक्ष रखा जाकर उस पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जावेगी।
7. रिवोल्विंग फण्ड राशि रु. 2.60 करोड़ अकालग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कम्पनी को वर्ष 1995 में उपलब्ध करवाया गया था। उक्त राशि नोट नं.-3 में चालू दायित्व के अन्तर्गत दर्शा रखी है, जो कि सरकार के द्वारा मांग किये जाने पर वापस लौटा दी जावेगी।

संलग्न-(अ) स्वतन्त्र अंकेक्षण रिपोर्ट

- (i) से (xxi) तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न-(स) स्वतन्त्र अंकेक्षण रिपोर्ट

तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न-(ब) स्वतन्त्र अंकेक्षण रिपोर्ट

बिन्दु संख्या-1 से 14 तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट “ब”

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Reply of observations of Secretarial Audit Report for the financial year 2021-22 as follows:-

(i) to (v) being statement of facts needs no comments.

Point Wise reply of observations of secretarial auditor mentioned in its secretarial audit report in point no vi:

01. The point is noted for compliance in the next financial Year.
02. The point is noted for compliance in the next financial Year.
03. The process for appointment of independent Director under Section 149 of the Companies Act, 2013 is under process. Hence, due to pendency of appointment of 2 Independent Directors, the meeting of independent directors could not be held.
04. The point is noted for compliance in the next financial Year.

गोपाल शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

जी-2, प्लॉट नं. एल-2-ए, गोल्डन पैलेस, कृष्णा मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक बैंलेस शीट शामिल है और लाभ और हानि का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण समाप्त हो गया है और वित्तीय विवरणों को नोट करता है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं (अधिनियम) आवश्यक तरीके से और 31 मार्च 2022 को कम्पनी के मामलों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्ति वर्ष के लिए इसके लाभ और नकद प्रवाह के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

हम निम्नलिखित मामलों में ध्यान आकर्षित करते हैं :—

- पैरा संख्या 5 (अ) नोट संख्या—ब में "महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिए नोट्स" के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रमाणित और आधार बीजों का मूल्य अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल को उनकी स्थिति रिपोर्ट (फिट / अनफिट) पर विचार करके मुख्य लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर लगाया जाता है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में कम्पनी ने स्टॉक के मूल्यांकन के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2022 जो भी स्थिति रिपोर्ट (फिट / अनफिट) विचार किया है जो कम्पनी के लेखा निति के अनुरूप नहीं है। चालू सम्पत्ति के तहत राशि रु. 196.34 लाख से कम बताएँ गए हैं और वर्ष के लिए (लाभ एवं बचत) भी राशि रु. 196.34 लाख से कम बताएँ गए हैं।

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की ऑडिट के लिये ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कम्पनी के स्वतंत्र ऑडिटर हैं जो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार नैतिक आवश्यकता के साथ है जो अधिनियम के प्रावधानों ओर इसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिये प्रांसगिक है, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य अंकेक्षण मामले

मुख्य अंकेक्षण मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समय रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबंधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

SA 701 के अनुसार मुख्य ऑडिट मामलों की रिपोर्टिंग मुख्य अंकेक्षण मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी हैं। हालांकि, हम वित्तीय वक्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:—

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिये नोट सं. 40 नोट नं. सी पर ऋण और अग्रिमों, व्यापार भुगतान, व्यापार प्राप्तकर्ता सुरक्षा जमा, अनुदान और अन्य वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों के खाते पर प्राप्तियों के गैर अपुष्ट शेष के संबंध है।
2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिये नोट नं. सी के पैरा नं. 40 को देखें जिसमें अनुसूची-III में 24 मार्च 2021 को व्यापारिक देयताओं के लिये संशोधन किया गया था जो कि कम्पनी को दिखाया जाना था। हालांकि कम्पनी के पास आयुवार विवरण उपलब्ध नहीं है।
3. कंपनी अभी भी संबंधित संयंत्र प्रबन्धक एचओ की मंजूरी के साथ बीजों की/इकाई हस्तांतरण की नीति का अभ्यास कर रही है और मौद्रिक मूल्य – अंतर को प्रभावित किए बिना केवल एक इकाई से दूसरी इकाई को मात्रा के आधार पर स्थानांतरित कर रही है। इस प्रकार इकाईयों की व्यक्तिगत लाभप्रदत निर्धारित नहीं की जा सकी।
4. कंपनी के पास केवल निजी डीलरों को नकद बिक्री के लिए सख्त निर्देश हैं और क्रेडिट बिक्री केवल सरकारी एजेंसियों ग्राहकों के लिए की जा सकती है। यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान क्रेडिट की बिक्री निजी पार्टियों के लिए भी की गई है। हालांकि, कंपनी ने निजी डीलरों से क्रेडिट बिक्री पर ब्याज की वसूली की है।
5. “महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिए” नोट्स के लिए कम्पनी के द्वारा नोट नं. अ के पैरा संख्या-14 के क्रम में प्रबंधन के द्वारा बैलेंस शीट पर सम्पत्तियों का लेखा मानक-28 के अनुसार हानि को देखा जाता है। लेकिन कम्पनी के द्वारा सम्पत्ति प्लांट और औजार की हानि को नहीं देखा गया है।
6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में “महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों पर नोट्स” के नोट संख्या-सी के पैरा नं. 38, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार राशि रु. 22,21,469/- के सीएसआर के लिए प्रावधान किया है और सीएसआर गतिविधियों के सम्बन्ध में राशि रु. 16,42,524/- खर्च किए। कम्पनी के पास राशि रु. 14,80,553/- का शेष खर्च होने से रह गयी है, जिसे धारा 135 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 में निर्दिष्ट अधिसूचित निधि में स्थानांतरिक किया जाना चाहिए था। अधिनियम के 135 (6) हालांकि, कम्पनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष जो राशि खर्च होने से रह गयी थी उसको अधिसूचित निधि में स्थानांतरिक नहीं किया है, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालना नहीं है।

7. नोट नं. 3 जो कि अन्य दीर्घकालिक दायित्वों के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए राशि रु. 2.60 करोड़ कम्पनी को प्राप्त हुये थे, जिसका कम्पनी के द्वारा उपयोग के लिए अलग से खाता संधारित नहीं किया गया। इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए प्रदान किया गया था।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रकट होता है भौतिक रूप से गलत होना।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री सही है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन। निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण है और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदारी चिंता, प्रकटीकरण के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि लागू होता है, चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिम्सें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है। माना जाता है कि समग्र, अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है। एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरायी हों, ऑडिट प्रक्रिया को डिजाइन करें और निष्पादित करें, और उन ऑडिट साक्ष्यों को प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रांसिगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

लेखांकन के चिंतों के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के आधार पर निष्कर्ष निकाले और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, क्या ऐसी घटना या परिस्थितियों से सम्बन्धित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलास अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हांलाकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।

खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं प्रतिनिधित्व हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय। मामलों से आरोपित लोगों के साथ संवाद किया।

शासन के साथ, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी। इस तरह से संचार के सार्वजनिक हित लाभ का झुकना।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आर्डर") के अनुसार, हम देते हैं आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुसूची "ए"।
- कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के लिए हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक में दी गई है अनुसूची "बी"।
- अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :**
 - हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।
 - हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यक पुस्तकों की उचित पुस्तकें अभी तक रखी गई हैं, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती है।
 - बैलेंस शीट, लाभ और हानि का बयान, और इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकों के साथ है।
 - हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ें।
 - अधिसूचना संख्या के अनुसार सरकारी कम्पनी होने के नाते। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, अनुसूची "सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट पर्याप्तता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।
 - वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता (ख) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार (हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लिए, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।
 - कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के अनुसार अन्य मामलों के संबंध

में ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल होने के लिए ।

- (अ) हमें कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है वित्तीय विवरणों के लिए नोट 16 देखे ।
- (ब) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी ।
- (स) अनपैड डिवडेन्ड राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 द्वारा संरक्षण कोष में राशि रु. 93,390/- वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई है । हालांकि इनसे सम्बन्धित शेयर स्थानांतरित नहीं किये गये ।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 002803सी

ह/-

अभिषेक शर्मा
भागीदार

सदस्यता संख्या 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

स्थान जयपुर
दिनांक : 23.11.2022

नोट :— सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा ।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

जी-2, प्लॉट नं. एल-2-ए, गोल्डन पैलेस, कृष्णा मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान

लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची (ए)

(राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों पर राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत एक तारीख की हमारी रिपोर्ट पैराग्राफ 1 संदर्भ में संदर्भित)

कम्पनी के वित्तीय वक्तव्यों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग करने और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और खातें की किताबों और अन्य रिकॉर्ड्स की सामान्य स्थिति में हमार द्वारा जांच की गई बातों को ध्यान में रखते हुए किए गए हमारे ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर ऑडिट और हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :—

(I) सम्पत्ति के बारें में

- (ए) (अ) कम्पनी ने पूर्ण विवरण देखते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और सम्पत्ति प्लांट और औजार की स्थिति शामिल है।
- (ब) कम्पनी के द्वारा इनटेनजिबल सम्पत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड जिसमें की पूर्ण विवरण देते हुये संधारित किया गया है।
- (बी) वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा कम्पनी की प्रमुख सम्पत्ति प्लांट और औजार का वास्तविक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई है।
- (सी) अचल सम्पत्तियों में शामिल अचल सम्पत्तियों का शीर्षक कार्य कम्पनी के नाम पर है। इसके अलावा प्रशासनिक भवन का कुछ हिस्सा जो कि वित्तीय स्टेटमेन्ट के नोट नं. 23 (21) में दर्शा रखा है।
- (द) कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी सम्पत्ति संयंत्र और औजार (उपयोग सम्पत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त सम्पत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान कोई भी बेनामी सम्पत्ति रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लम्बित नहीं है।

इन्वेंट्री के सम्बन्ध में

- (अ) प्रबंधन ने हमे बताया गया के आधार पर वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। प्रबन्धन द्वारा इस तरह के सत्यापन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया उचित है। जैसा कि हमें बताया गया कि इस तरह से सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।
- (ब) कम्पनी की वर्तमान सम्पत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है, तिमाही रिटर्न या बयान

कम्पनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर किए गए थे और कम्पनी के खाते की पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।

- (iii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य किसी पार्टियों को निवेश नहीं किया गया है। कोई गारण्टी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (iv) जैसा कि हमें बताया गया है कि कम्पनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है, गारण्टी नहीं दी है। इसके अलावा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया है।
- (v) कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कम्पनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जहाँ लागू। तदानुसार खण्ड के प्रावधान आदेश के 3 (अ) लागू नहीं होते हैं।
- (vi) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार केन्द्र सरकार ने कम्पनी के उत्पादों / सेवाओं के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रख-रखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (अप) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (vii) (अ) कम्पनी माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य सहित अवविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, उपयुक्त अधिकारियों के पास। इसके अलावा इसके सम्बन्ध में देय कोई भी अवविवादित राशि वर्ष के अन्त में देय तिथि से छःमाह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (ब) माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और खाते में किसी भी अन्य वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में बकाया किसी भी विवाद के लिए इस प्रकार है :—

अधिनियम के प्रकार	देयता की प्रकृति	राशि (रु. लाखों में)	विवाद के अन्तर्गत जमा कराई गई राशि	राशि अवधि जिससे सम्बन्धित है।	विवाद जहाँ पर बकाया है।
आयकर		146.12	-	कर निर्धारण वर्ष-2017-18	आयुक्त आयकर विभाग-प्रथम, जयपुर।
आयकर		3.03	-	कर निर्धारण वर्ष-2020	
आयकर		67.74	-	कर निर्धारण वर्ष-2021	
आयकर		0.24	-	कर निर्धारण वर्ष-2018	
टीडीएस		0.18	-	वित्तीय वर्ष-2022-23	
टीडीएस		1.85	-	वित्तीय वर्ष-2021-22	
टीडीएस		0.26	-	वित्तीय वर्ष-2020-21	
टीडीएस		0.22	-	वित्तीय वर्ष-2019-20	
टीडीएस		0.20	-	वित्तीय वर्ष-2018-19	
टीडीएस		13.81	-	पूर्व वर्ष	

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आंकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेनदेन को आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खातें की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (viii) रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ix) कम्पनी के पास वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों सहित कोई भी उधार नहीं है। तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (ix) रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(x) (a) कम्पनी ने वर्ष के दौरान आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से राशि नहीं लौटायी है।
(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (x) रिपोर्ट करने की आवश्यकताकम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।
(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम के धारा 143 की उप-धारा (12) तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमों के नियम-13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, 2014 केन्द्र सरकार के साथ
(s) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान मुखबिर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहाँ लागू हो और वित्तीय विवरण और आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लेखा मानक और कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक।

(xiv) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
(b) लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक जारी कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कम्पनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किया है और तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (xv) के प्रावधान नहीं है लागू।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45—आईए के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियों के आधार पर हमारी राय है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और तदानुसार आदेश के खण्ड 3 (xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xix) वित्तीय अनुपातों के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय सम्पत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मण्डल और प्रबन्धन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और सबूतों का समर्थन करने वाली हमारी परीक्षा के आधार पर मान्यताओं, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें है विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कम्पनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थ है और जब वे भीतर आती हैं बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कम्पनी के भविष्य का व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट तक के तथ्यों पर आधारित है और न तो हम कोई गारण्टी देते हैं और न ही कोई आवश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कम्पनी के रूप में और जब वे देय होते हैं।

(xx) कम्पनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम की अनुसूची-7 में निर्दिष्ट निधि में खर्च नहीं हुई राशि को स्थानांतरित नहीं किया है।

(xxi) धारा (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के समय लागू नहीं है। तदानुसार कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है। इस रिपोर्ट के तहत उक्त खण्ड के सम्बन्ध में

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 002803सी

ह/-

अभिषेक शर्मा
भागीदार

सदस्यता संख्या 079224

UDIN : 22079224BDXEIP1452

स्थान जयपुर
दिनांक : 23.11.2022

नोट :— सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

जी-2, प्लॉट नं. एल-2-ए, गोल्डन पैलेस, कृष्णा मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुसूची "सी"

(राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैरा 2 (एफ) में।

संदर्भित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम की धारा ("143 की उप धारा-3 के तहत।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट। हमने राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर "कम्पनी")

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च 2022 तक ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त हुए कम्पनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी के निदेशक मण्डल आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कम्पनी ने आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशा निर्देश नोट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आवश्यक रिपोर्टिंग पर विचार किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, सटीकता और पूर्णता कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकार्ड और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग गाइडेंस (") के ऑडिट पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार और कंपनियों की धारा (10 के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। कम्पनी अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जो सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना।

मूल्यांकन किए गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण

चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो

- (i) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं
- (ii) आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किये जाने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें और कम्पनी की रसीदें और वयय किये जा रहे हैं।
- (iii) केवल कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार बनाया गया तथा कम्पनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण के ओवरराइड की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किये गये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 002803सी

ह/-

अभिषेक शर्मा

भागीदार

सदस्यता संख्या 079224

UDIN : 22079224BDXEIP1452

नोट :— सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

जी-2, प्लॉट नं. एल-2-ए, गोल्डन पैलेस, कृष्णा मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुसूची “बी”

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) द्वारा आवश्यक है, हम भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुपालना पर एक रिपोर्ट देते हैं:—

1. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र परीक्षा पर कम्पनी स्टॉक रिकॉर्ड्स को छोड़कर आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संधारित कर रही है जो अभी भी मैन्युअल रूप से बनाए जा रहा है।
2. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र परीक्षा में एक मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है या कम्पनी को देय ऋण/ऋण/ब्याज इत्यादि का ऋणदाता द्वारा कम्पनी को देय होने के कारण कोई मामला नहीं है। कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता।
3. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और एक समग्र परीक्षा पर सब्सिडी/अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था और परिचालन दिशा-निर्देशों/नियमों और शर्तों के साथ संलग्न किया गया था जो पैरा 7 के अधीन है। हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में मुख्य अंकेक्षण मामले।
4. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और एक समग्र परीक्षा में कम्पनी के वित्तीय विवरण को अनुसूची ।।। में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है, जिसमें नोटों के अधीन पर्याप्त खुलासे के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 है।
5. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र परीक्षा पर कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
6. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और एक समग्र परीक्षा पर कम्पनी के वित्तीय विवरण हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के मुख्य अंकेक्षण मामलों के तहत 1 से 7 के लिए आकस्मिक आधार पर तैयार किए गए हैं।
7. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समय परीक्षा पर वाउचर के साथ खातों की पुस्तकों को अच्छे क्रम में रखा गया है।
8. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार बकाया कानूनी मामलों की सूची वित्तीय स्टेटमेन्ट में दी गई है, लेकिन बकाया कानूनी मामलों की वर्षवार विश्लेषण का विस्तृत नहीं है।
9. हमारी स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में मुख्य अंकेक्षण मामलों के तहत एवं कारों 2020 की रिपोर्ट को छोड़कर नकारात्मक या उत्तर योग्यता के साथ उत्तीर्ण लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल कोई मामला नहीं है।
10. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और एक समग्र परीक्षा में उनके स्टेटस रिपोर्ट

के अनुसार पुराने बीजों के स्टॉक का मूल्यांकन उनकी क्वालिटी गुणवत्ता के आधार पर किया गया है।

11. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बीजों के विपणन के लिए कम्पनी की मूल्य निर्धारण नीति अपने उद्देश्यों की प्रभावी उपलब्धि के लिए वैध और तर्कसंगत थी।
12. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा अनाज के रूप में बीज की बिक्री राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के आधार पर और खरीदार से घोषणा के साथ कि यह मानव उपभोग के लिए नहीं है।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने पिछले वर्षों के अनुसार वित्तीय विवरणों में सब्सिडी/अनुदान का खुलासा किया है और समग्र परीक्षा पर कम्पनी नियमित रूप से सरकार से सब्सिडी की समय पर प्राप्तियों की निगरानी कर रही है। यह जानकारी दी गई है कि सरकार से बकाया सब्सिडी बजट अभाव की कमी के कारण है।
14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार से विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त धनराशि की पार्किंग पर अर्जित ब्याज का उचित हिसाब रखा गया था।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 002803सी

ह/-

अभिषेक शर्मा
भागीदार

सदस्यता संख्या 079224

UDIN : 22079224BDXEIP1452

स्थान जयपुर
दिनांक : 23.11.2022

नोट :— सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

31 मार्च 2022 का तुलना-पत्र

विवरण		नोट न.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
			₹ लाखों में	₹ लाखों में
अ	साम्य और दायित्व			
1	अंशधारियों की निधि			
	(अ) अंश पूँजी	1	759.29	759.29
	(ब) आरक्षित निधी एवम् अधिकोषे	2	15,778.60	14,072.56
	(स) अंश वारन्ट के विरुद्ध प्राप्त रूपये		-	-
			16,537.89	14,831.85
2	अंश पूँजी के विरुद्ध बकाया आवर्तन राशि		-	-
3	नॉन चालू दायित्व			
	(अ) रक्षित लम्बी अवधि की	3	-	-
	(ब) डैफर्ड कर दायित्व (नेट)		-	-
	(स) अन्य लम्बी अवधि के दायित्व	4	1,912.12	1,912.12
	(द) लम्बी अवधि के प्रावधान		89.86	41.56
			2,001.98	1,953.68
4	चालू दायित्व			
	(अ) रक्षित छोटी अवधि की	5	-	1,102.88
	(ब) व्यापारिक देयताएँ	6	1,209.35	2,983.76
	(स) अन्य चालू दायित्व	7	6,170.08	5,614.41
	(द) छोटी अवधि के प्रावधान	8	823.55	396.76
			8,202.98	10,097.81
	योग		26,742.85	26,883.34
ब	सम्पत्तियाँ			
1	नान-चालू सम्पत्तियाँ			
	(अ) सम्पत्ति प्लांटस एवं औजार	9अ	3,170.00	3,273.39
	टेनजिबल सम्पत्तियाँ		-	135.83
	पूँजीगत कार्य प्रगतिअधीन	9अ	-	-
	(ब) नान-चालू विनियोग		-	-
	(स) स्थगित (डैफर्ड) कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	21	259.76	250.89
	(द) अन्य नान-चालू सम्पत्तियाँ	22	2.17	2.17
			3,431.93	3,662.28
2	चालू सम्पत्तियाँ			
	(अ) चालू विनियोग	10	4,751.51	7,079.19
	(ब) अन्तिम रहतियाँ		-	-
	(स) व्यापारिक प्राप्तियाँ	11	3,642.64	2,600.75
	(द) नकद और नकद तुल्य	12	5,459.94	1,869.47
	(य) ऋण और अग्रिम छोटी अवधि की	13	9,365.99	11,632.79
	(र) अन्य चालू सम्पत्तियाँ	14	90.84	38.86
			23,310.92	23,221.06
	योग		26,742.85	26,883.34
	वित्तीय स्टेटमेंटों को नोट के आधार पर बनाये गये हैं, उन्हें देखें	23		

ह/-
राकेश मामनानी
कम्पनी सचिव
M.No. F8834

ह/-
मन मोहन मीणा
वरिप्रबन्धक (वित्त)

ह/-
के.सी.मीणा
महाप्रबन्धक

ह/-
सीताराम सैनी
निदेशक
DIN No. 09011840

ह/-
जसवंत सिंह
प्रबन्ध निदेशक
DIN No. 08383856

ह/-
धीरज गुर्जर
अध्यक्ष
DIN No. 09657457

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स FRN No. 002803C

ह./-

(अभिषेक शर्मा) भागीदार

एम.एन. नं. 079224

UDIN : 22079224BDXEIP1452

राजस्थान स्टेट सीड़स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

31 मार्च 2022 का समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता

	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
			₹ लाखों में	₹ लाखों में
अ 1.	क्रियाओं से रेवन्यू (नेट)	15	27,527.61	26,692.37
2	अन्य आय	16	316.83	415.92
3	कुल आय (1+2)		27,844.44	27,108.29
4	खर्च (अ) मैटरियल खपत की लागत (ब) स्टॉक ड्रेड की क्रय (स) पूर्ण माल, कारों प्रगतिधीन और व्यापार के स्टॉक में बदलाव (द) कर्मचारी बेनेफिट खर्च (ग) वित्तीय लागत (र) हासा और परिशोधन खर्च (ज) अन्य खर्च	17 अ 17 ब 18 19 9 ब 20	- 17,455.03 2,514.13 1,715.22 317.58 256.73 3,142.94	- 23,012.55 -2,530.05 1,593.70 540.65 246.50 2,858.04
	कुल व्यय		25,401.63	25,721.39
5	कमाई परिशोधन मदे, अन्य विशिष्ट मद, व्याज, टेक्स से पूर्व (ई.बी.आई.टी.) (3-4)		2,442.81	1,386.90
6	असाधारण मदे		-	-
7	लाभ/ (हानि) अन्य विशिष्ट मद और कर से पूर्व (5-6)		2,442.81	1,386.90
8	अन्य विशिष्ट मदे		-	-
9	लाभ/ (हानि) कर से पूर्व (7-8)	19 (iii)	2,442.81	1,386.90
10	पिछले वर्ष की आय/ (व्यय)		53.05	25.63
11	लाभ/ (हानि) चालू क्रियाओं से (09-10)		2,495.86	1,412.53
12	कर खर्च (अ) चालू वर्ष का कर (ब) पिछले वर्ष का कर (स) डैफर्ड कर	21	726.00 - -8.87	305.00 - 57.18
13	लाभ/ (हानि) चालू क्रियाओं से (12 i+12ii+12iii)		1,778.73	1,050.35
ब14	अचालू क्रियाएं			
(i)	लाभ/ (हानि) अचालू क्रियाओं से (कर पूर्व)		-	-
(ii)	बचत/ (हानि) सम्पत्तियों के निरस्तारण से/अचालू क्रियाओं के दायित्वों का सेटलमेन्ट		-	-
(iii)	जोड़िये/ (घटारो) कर खर्च अचालू क्रियाओं से (अ) सामाच्चर्य गतिविधियों अचालू क्रियाओं से (ब) लाभ/ (हानि) सम्पत्तियों के विक्रय से दायित्वों का सेटलमेन्ट		- - -	- - -
15	लाभ/ (हानि) अचालू क्रियाएं से (14(i) ± 14(ii) ± 14(iii))		-	-
	कुल क्रियाएं			
16	लाभ/ (हानि) वर्ष के लिये (13-15)		1,778.73	1,050.35
स	कमाई प्रतिअंश (रु. 234.05 प्रत्येक)			
	(अ) मूल			
	चालू क्रियाएं		234.05	138.21
	कुल क्रियाएं		234.05	138.21
	(ब) डाइल्यूटेट			
	चालू क्रियाएं		234.05	138.21
	कुल क्रियाएं		234.05	138.21
17	कमाई प्रतिअंश (अन्य विशिष्ट मदों को छोड़ते हुए) रु. 234.05 प्रत्येक			
	(अ) मूल			
	चालू क्रियाएं		234.05	138.21
	कुल क्रियाएं		234.05	138.21
	(ब) डाइल्यूटेट			
	चालू क्रियाएं		234.05	138.21
	कुल क्रियाएं		234.05	138.21
	महत्वपूर्ण लेखा नितियों एवं लेखा टिप्पणियों वित्तीय स्टेटमेंटों को नोट के आधार पर बनाये गये हैं, उन्हें देखें	23		

ह/-

राकेश मामनानी
कम्पनी सचिव
M.No. F8834

ह/-

मन मोहन मीणा
वरिप्रबन्धक (वित्त)

ह/-

के.सी.मीणा
महाप्रबन्धक

ह/-

सीताराम सैनी
निदेशक

DIN No. 09011840

ह/-

जसवंत सिंह
प्रबन्ध निदेशक

DIN No. 08383856

ह/-

धीरज गुर्जर
अध्यक्ष

DIN No. 09657457

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स FRN No. 002803C

ह/-

(अभिषेक शर्मा) भागीदार

एम.एन. नं. 079224

UDIN : 22079224BDXEIP142

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण पत्र

विवरण	2021-22	2020-21
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) परिचालन प्रक्रिया से नकद प्रवाह शुद्ध लाभ कर एवं असाधारण मद के पूर्व समायोजन :	2,495.86	1,412.53
हास अधिक आयकर प्रावधान /मांग राशि पिछले वर्ष की हास /अमोरटाईजेशन समायोजन पिछले वर्ष के ब्याज आय ब्याज एवं वित्तीय व्यय दूबत ऋण अपलिखित पूर्व वर्ष से सम्बन्धित आय	256.73 3.24 - -25.00 317.58 68.91	246.50 64.45 - -27.04 540.65 11.08
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ विविध देनदारों में (बढ़ोतरी) /घटोतरी स्टॉक में (बढ़ोतरी) /घटोतरी ऋण एवं अग्रिम में (बढ़ोतरी) /घटोतरी व्यापार एवं अन्य देयताएं में बढ़ोतरी / (घटोतरी) परिचालन से नकद उत्पन्नता करों का भुगतान परिचालन प्रक्रिया से शुद्ध नकद (अ)	3,117.32 -1,128.89 2,327.67 2,232.91 -2,316.11 4,232.90 305.00 3,927.90	2,248.17 1,511.29 -2,628.99 4,343.23 -3,820.25 1,653.45 315.00 1,338.45
(ब) विनियोजन प्रक्रिया से नकद प्रवाह स्थाई परिसम्पत्तियों का क्रय पूँजीगत कार्य प्रगतिशील क्रय स्थाई परिसम्पत्तियों के विक्रय से नॉन चालू दात्यिक में बढ़ोतरी / (घटोतरी) ब्याज प्राप्ति विनियोजन प्रक्रिया से शुद्ध नकद (ब)	-17.50 - - 48.30 25.00 55.80	-333.54 -135.83 - -88.65 27.04 -530.98
वित्तीय प्रक्रिया में शुद्ध नकद का उपयोग (स) अंश पूँजी की प्राप्ति लाभांश भुगतान ब्याज का भुगतान नकद एवं नकद के समान में शुद्ध बढ़ोतरी / (घटोतरी) (स)	- -75.65 -317.58 -393.23	0.00 -92.16 -540.65 -632.81
नकद एवं नकद के समान में शुद्ध बढ़ोतरी / (घटोतरी) (अ+ब+स) वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद के समान नकद एवं बैंक शेष	3,590.47 1,869.47	174.66 1,694.81
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद के समान नकद एवं बैंक शेष	5,459.94	1,869.47
नोट— नकद एवं नकद के समान में भुगतान नहीं हुआ रु. 7.84/- लाख (पूर्व वर्षों में 7.56/- लाख) लाभांश की राशि भी और रु. 0.99/- लाख (पूर्व वर्ष में राशि रु. 0.99/- लाख) संग्रहण खातों में सम्मिलित है जो कि कम्पनी के पास उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं है।		

ह/-
राकेश मामनानी
कम्पनी सचिव
M.No. F8834ह/-
मन मोहन मीणा
वरिप्रबन्धक (वित्त)ह/-
के.सी.मीणा
महाप्रबन्धकह/-
सीताराम सैनी
निदेशक
DIN No. 09011840ह/-
जसवंत सिंह
प्रबन्ध निदेशक
DIN No. 08383856ह/-
धीरज गुर्जर
अध्यक्ष
DIN No. 09657457इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन
कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स FRN No. 002803C

ह./-

(अभिषेक शर्मा) भागीदार

एम.एन. नं. 079224

UDIN : 22079224BDXEIP1452

नोट 1 अंशपूँजी

	विवरण	प्रारम्भिक शेष	जोड़िये	घटाये	अन्तिम शेष	₹ लाखों में
	अधिकृत पूँजी:					
	3900000 साम्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	3,900.00	-	-	3,900.00	
	100000 अधिमान अंश प्रत्येक 100 रुपये	100.00	-	-	100.00	
	निर्गमित पूँजी:					
	849543 साम्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	849.54	-	-	849.54	
	अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त पूँजी					
	759976 साम्य अंश प्रत्येक 100 रुपये	759.98	-	-	759.98	
	बकाया मौंग राशि	0.69	-	-	0.69	
घटाइए	जब्त अंश	-	-	-	-	
घटाइए	योग	759.29	-	-	759.29	

* बकाया मौंग राशि 875 (पूर्व वर्ष के 875) साम्य अंशों पर

(I) अंशों का मिलान

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अंशों की संख्या	अंशों की संख्या (लाखों में)	अंशों की संख्या (लाखों में)
साम्य अंश		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	7.60	759.98
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	7.60	759.98
अधिमान अंश		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	-	-
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	-	-

(II) 5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों की सूची

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों के नाम जो कि तुलन पत्र में नीचे दिखाई गई हैं।

क्र.सं.	अंश धारियों के नाम	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास	6.33	83.37%
2	राष्ट्रीय बींज निगम नई दिल्ली	1.14	15.00%
	योग	7.47	98.37%

(III) साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध कम्पनी के पास साम्य अंश श्रेणी के अंश अंकित मूल्य 100 रु. प्रति अंश जो कि निर्गमित एवं अभिदत्त है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश के लिए एक वोट के लिये योग्य है। साम्य अंशों के धारक संचालक मण्डल के द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के अनुमोदन के तहत, अन्तरिम लाभांश के अलावा, कम्पनी के बन्द होने की स्थिति में शेष सम्पत्तियों में से उनके पास धारित साम्य अंशों की संख्या एवं चुकायी गयी राशि के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य है।

नोट 2 आरक्षित निधि एवं अधिकोष

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) पूँजी आरक्षित निधि प्रारम्भिक शेष जोड़िये: अतिरिक्त वर्ष के दौरान घटाये: उपयोग/स्थानन्तरण वर्ष के दौरान अन्तिम शेष	0.45	-	0.45	-
	-	-	-	-
	0.45	0.45	0.45	0.45
(ब) सामान्य आरक्षित निधि प्रारम्भिक शेष लाभ/हानि की बचत का स्थानन्तरण घटाये: उपयोग/स्थानन्तरण वर्ष के दौरान बोनस अंश जारी अन्य अन्तिम शेष	0.17	-	0.17	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	0.17	0.17	0.17	0.17
(क) बचत/ (कमी) लाभ एवं हानि प्रपत्रों में प्रारम्भिक शेष जोड़िये: लाभ/ (हानि) वर्ष के लिये घटाये : आयकर मांग पूर्व वर्षों की जोड़िये: आयकर रिफण्ड/अधिक प्रावधान रिटर्न बैंक पिछले वर्षों का घटाये : सामान्य अंशधारियों को लाभांश बटाने के लिये प्रस्तावित लाभाश पर कर अन्तिम शेष	14,071.94	1,778.73	13,033.07	1,050.35
	-	-	-	1.29
	3.24	75.93	65.74	75.93
	-	-	-	-
	15,777.98	15,778.60	14,071.94	14,072.56
योग	15,777.98	15,778.60	14,071.94	14,072.56

नोट 3 अन्य दीर्घकालीन दायित्व

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) कृषि विभाग के जमा	18.14		18.14	
(ii) सुखा ग्रस्त क्षेत्र हेतु रिवोल्विंग फण्ड	260.00		260.00	
(iii) सीड्स बैंक हेतु रिवोल्विंग फण्ड	8.62		8.62	
(iv) माल के लिए लेनदार (लिटिगेशन में)	1,613.85		1,613.85	
(v) ए. जी पैरा के विरुद्ध देय व्याज	10.97		10.97	
(vi) विविध लेनदार अन्य के लिए	0.54		0.54	
योग	1,912.12		1,912.12	

नोट 4 दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) कर्मचारी के बेनेफिट के लिए प्रावधान				
(i) ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम हेतु प्रावधान	48.33		29.62	
(ii) अवकाश नकदी करण हेतु प्रावधान	41.53		11.94	
योग	89.86		41.56	

नोट 5 अल्पकालीन ऋण

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) नकद साख (हायपोथीकेशन समस्त चल सम्पत्ति प्रत्येक वर्णित सभी प्रकार की राशि, जमाए रखी रकम की इत्यादि) (मांग पर)	-	1,102.88
योग	-	1,102.88

नोट 6 व्यापारिक देयताएं

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
व्यापारिक देयताएं		
(i) माल के लिए विविध लेनदार	1,209.35	2,983.76
योग	1,209.35	2,983.76

नोट 7 अन्य चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) भुगतान नहीं हुआ लाभांश	7.84	7.56
(ii) अन्य भुगतान योग्य		
(i) खर्चों के लिए विविध लेनदार	995.73	253.13
(ii) अन्य के लिए विविध लेनदार	866.36	844.99
(iii) पूँजीगत माल के लिए विविध लेनदार	21.42	21.26
(iv) अदत्त दायित्व	438.28	451.39
(v) अनुदान अग्रिम	249.67	249.67
(vi) सरकार को वापसी योग्य अनुदान	1,064.34	1,183.73
(vii) केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत अनुदान	-	136.27
(viii) ग्रहकों से बीज एवं अन्य के विरुद्ध	14.98	14.69
(ix) बीज उत्पादकों का जमा शेष	281.68	141.46
(x) विविध देनदारों का जमा शेष	807.56	892.07
(xi) डीलर्स आपूर्तिकर्ताओं, कान्ट्रकर्ट्स एवं थोक विक्रेताओं की जमा अमानत	719.60	715.37
(xii) ढायागत विकास अनुदान (केन्द्रीय अनुदान)	694.25	694.25
(xiii) स्टाफ को अग्रिम आरक्षित अच्छे माने गये	8.37	8.57
योग	6,170.08	5,614.41

नोट 8 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रावधान		
(i) आयकर हेतु प्रावधान	726.00	305.00
(ii) साम्य लाभांश एवं कर हेतु प्रस्तावित प्रावधान	75.93	75.93
(iii) सी.एस.आर. हेतु प्रावधान	14.81	9.02
(iv) डूबत ऋण हेतु प्रावधान	6.81	6.81
योग	823.55	396.76

नोट 9 (अ)

सम्पत्ति प्लांट और औजार

₹ लाखों में

विवरण	सकल ब्लॉक			हास (AMORTIZATION)				नेट ब्लॉक		
	1 अप्रैल 2021 को शेष	बढ़ोतारी	घटोतारी	31 मार्च 2022 को	वर्ष के दौरान	बढ़ोतारी/घटोतारी वर्ष के दौरान	कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रमाण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 को
टैनजेलल सम्पत्ति										
फैक्ट्री होल्ड	28.42			28.42	-	-	-	-	28.42	28.42
लिज होल्ड	245.16			245.16	-	-	-	-	245.16	245.16
संयंत्र भवन	1,485.70			1,485.70	602.66	82.30	-	684.96	800.74	883.04
संयंत्र एवं भूमि/नरी	1,389.51	5.88		1,395.39	1,041.05	58.40	-	1,099.45	295.94	348.45
फर्नीचर एवं जुड़नार	139.10	8.72		147.82	121.89	6.75	-	128.64	19.18	17.22
अन्य वाहन	7.93			7.93	7.54	-	-	7.54	0.39	0.39
कार्यालय उपकरण	48.49	1.65		50.14	45.67	0.77	-	46.44	3.70	2.82
गोदाम	2,031.26			2,031.26	711.49	64.19	-	775.68	1,255.58	1,319.77
स्टाफ कर्चाटर	82.33			82.33	54.34	1.35	-	55.69	26.64	27.99
स्टील फ्रेट्स	1,072.17			1,072.17	916.79	26.34	-	943.13	129.04	155.38
कम्प्यूटर	58.05	1.25		59.30	54.15	0.98	-	55.13	4.17	3.90
मोटर कार	76.35			76.35	68.34	1.61	-	69.95	6.40	8.01
कार्यालय भवन	401.90	135.83		537.73	179.88	13.52	-	193.40	344.33	222.01
प्रशासनिक भवन	53.54			53.54	42.71	0.52	-	43.23	10.31	10.83
फार्म पर कुओं	2.26			2.26	2.26	-	-	2.26	0.00	0.00
योग	7,122.17	153.33	-	7,275.50	3,848.77	256.73	-	4,105.50	3,170.00	3,273.39
सी.डब्ल्यू.आई.पी.	135.83	-	135.83	-	-	-	-	-	-	135.83
पिछले वर्ष की	6,788.62	333.55	-	7,122.17	3,602.27	246.50	-	3,848.77	3,273.39	3,186.35

नोट (i) मूल डास के आकालन अधिनियम, 2013 कम्पनियों के प्रति अनुसूची द्वारा आयोजित अवल सम्पत्तियों के लिखित नीचे मूल्य में अन्तर और कहा कि पहले से ही विधिवित कार्यक्रम के अनुसार XIV कम्पनी अधिनियम, 1956 की अव दिया गया है। प्रमाण के रूप में लाभ और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की हालि को वर्ष 2015-16 के लेखों में प्रमाण दिया गया। इस तरह के समायोजन के फलस्वरूप उत्तन होने वाली अन्तर को सामान्य आरक्षित निधि से चार्ज किया गया है।

नोट (ii) प्रारम्भिक राशि के ब्लॉक कर इस शेष रही सम्पत्ति की जीवन पर एवं नये सम्पत्ति पर डास की गणना उनके काम में लेने की दिनांक से चार्ज किया गया है।

नोट (iii) राशि रु. 5,000/- से कम की सम्पत्ति पर 100 प्रतिशत डास चार्ज किया गया है।

नोट (iv) बीज भण्डार दुकाने के लिये राशि रु. 135.83/- लाभ को इस वर्ष कार्यालय भवन के अत्तर्गत समिलित किया गया है जो कि पिछले वर्ष पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन में दिया रखी थी एवं खातों में इस वर्ष इस पर डास चार्ज किया गया है।

नोट 9 ब सम्पत्तियों प्लाट और ओजार (लगातार)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
स	हास और अमाइटोजेशन लगातार क्रियाओं से सम्बन्धित	₹ लाखों में	₹ लाखों में
	विवरण		
	हास और अमाइटोजेशन वर्ष के लिए टेनिजिबल सम्पत्तियों पर नोट 9 अ के अनुसार	256.73	246.50
	हास और अमाइटोजेशन लगातार क्रियाओं से सम्बन्धित	256.73	246.50

नोट 10 रहतियाँ

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रमाणित बीज	3,092.21	4,643.26
(ब) आधार व प्रजनक बीज	566.54	727.14
(स) न्यून आकार एवं अनुउपयुक्त बीज	217.71	1,019.79
(द) रॉ बीज एवं विधायित बीज	28.59	28.99
(य) रॉइ	846.46	660.01
(र) विधायन, रासायनिक एवं पैकिंग सामग्री		
(ल) परिवहनाधीन सामग्री		
योग	4,751.51	7,079.19

नोट 11 व्यापारिक प्राप्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
व्यापारिक प्राप्तियाँ बकाया जों की भुगतान के लिए 6 माह से अधिक पर बकाया है।		
रक्षित, अच्छे माने गये		
अरक्षित, अच्छे माने गये		
6 माह से कम के लिये	2,333.72	1,230.47
6 माह से अधिक के लिये	587.64	540.47
डूबत	1,820.18	1,841.71
घटाइये: व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्रावधान	4,741.54	3,612.65
योग	1,098.90	1,011.90
	3,642.64	2,600.75

नोट 12 नकद और नकद तुल्य

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) हस्तगत रोकड़	0.68	0.61
(ब) शेष बैंको के पास		
(i) चालू खाते में	877.07	1,760.31
(ii) नकद साख सीमा खाता	4,327.36	-
(iii) संग्रहण खाते में	0.99	0.99
(स) इयरमाकृड खातों में		
अनपेड लाभांश खाता	7.84	7.56
(द) परिवहनाधीन अन्तरण (रेमीटेन्स)	246.00	100.00
योग	5,459.94	1,869.47
(ii) शेष बैंको के पास – अन्य इयरमाकृड खातों में सम्मिलित ₹. 7.84/- लाख (31 मार्च 2021 को ₹. 7.56/- लाख) जो की रिपेटरियेशन पर रोक है।		

नोट 13 अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) बीज उत्पादकों को अग्रिम घटाइशें : अग्रिम के लिये प्रावधान	3,197.52 113.18 3,084.34	5,058.50 131.28 4,927.22
(ब) प्रतिभूति सरकार के पास	18.10 18.10	18.00 18.00
(स) पूर्वदत्त व्यय—अरक्षित, अच्छे माने गये	34.02	72.84
	34.02	72.84
(द) पूर्वदत्त व्यय—अरक्षित, अच्छे माने गये आरक्षित जो कि अच्छे माने गए हैं		
(i) सरकार से वसूली योग्य अनुदान	4,718.00	5,590.26
(ii) अग्रिम आयकर	317.07	261.23
(iii) टी. डी. एस.	21.66	5.64
(iv) वादकरण के अन्तर्गत जमा	4.97	5.80
(v) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अनुदान	523.86	-
(v) आयकर वसूली योग्य	213.92	213.38
	5,799.48	6,076.31
(र) विविध लेनदार डेबिट शेष अरक्षित, अच्छे माने गये	31.81	27.85
	31.81	27.85
(ल) अन्य अग्रिम / वसूली योग्य अरक्षित, अच्छे माने गये	398.24	510.57
	योग	9,365.99
		11,632.79

नोट 14 अन्य चालू सम्पत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(ब) उद्त फार्म आय / अन्य आय	90.84	38.86
	योग	90.84
		38.86

नोट 15 आय क्रियाओं से

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उत्पादों की बिक्री :		
(i) प्रमाणित बीज	17,845.85	19,385.35
(ii) आधार एवं प्रजनक बीज	1,619.77	2,187.89
(iii) रुई	-	-
(iv) निलामी बिक्री	2,993.25	1,607.89
(v) विपणन अनुदान	2,791.46	1,345.78
(vi) एन.एफ.एस.एम. अनुदान	2,277.28	2,165.46
	योग	27,527.61
		26,692.37

नोट 16 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज से आय (रेफर नोट (i) नीचे)	25.00	27.04
(ब) अन्य नान आपरेटिंग आय (रेफर नोट (ii) नीचे)	291.83	388.88
योग	316.83	415.92

नोट (i)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
ब्याज से आय सम्मिलित:		
बैंकों से ब्याज :		
बचत खातों पर	21.53	25.91
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	-	0.04
अन्य ब्याज	3.47	1.09
योग –ब्याज आय	25.00	27.04

नोट (ii)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अन्य नान आपरेटिंग आय सम्मिलित:		
फार्म से आय	226.85	207.60
शारित की वसूली	14.39	54.41
अनुक्रमाक फीस	0.45	1.23
अन्य प्राप्तियाँ	20.80	46.43
बीज बैंक अनुदान का पूनर्भरण	17.85	71.62
विधायन सामग्री की निलामी	11.49	7.59
कुल अन्य नान ऑपरेटिंग आय	291.83	388.88

नोट 17 अ व्यापारिक माल की क्रय

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
प्रमाणित बीज	17,614.69	24,362.25
रॉ बीज	94.13	171.60
आधार एवं प्रजनक बीज	1,987.86	2,765.04
क्रय खर्च	2.81	15.01
घटाईये : उत्पादन के लिए अनुदान	(2,244.46)	(4,301.35)
योग	17,455.03	23,012.55

नोट 17 व पूर्ण माल, कार्य प्रगतिधीन ओर व्यापार के स्टॉक में बदलाव

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
स्कन्ध वर्ष के अन्त में	3,905.04	6,419.17	3,889.12
स्कन्ध वर्ष के प्रारम्भ में	6,419.17	3,889.12	
नेट (बढ़त) / घटत	2,514.13	(2,530.05)	

नोट 18 कर्मचारियों बेनिफिट खर्च

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वेतन एवं भत्तें	1,373.56	1,319.52	
पेंशन अंशदान	34.14	21.97	
चिकित्सा खर्च	26.99	48.31	
चिकित्सा राहत कोष में अंश दान	2.15	1.71	
प्रशिक्षण एवं चयन	-	0.28	
लिवरीज खर्च	0.92	0.38	
एल.आई.सी.ग्रुप ग्रेच्युटी	77.80	41.21	
नियोक्ता का भविष्य निधि में अशंदान	112.94	113.83	
अवकाश नकदीकरण	60.78	19.27	
कर्मचारियों को अनुग्रह राशि	11.58	9.91	
स्टॉफ वेलफेर	10.29	7.11	
प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को	1.39	2.13	
एनपीएस योगदान	1.15	4.69	
कर्मचारियों को उपहार	1.03	3.04	
सीपीएफ योगदान सरकारी	0.50	0.34	
योग	1,715.22	1,593.70	

नोट 19 वित्तीय खर्च

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज खर्चः (i) ऋण पर	317.58	540.65	
योग	317.58	540.65	

नोट: 19 (ii)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) अकेक्षकों को भुगतान सम्मिलित (नेट ऑफ सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट, जहाँ लागु)	1.30	1.30
अकेक्षकों को— वैधानिक अकेक्षण कर सम्बन्धि मामलों के लिए खर्चों को पूनर्भरण एवं जी.एस.टी.	0.65	0.65
	2.67	2.40
योग	4.62	4.35
(iii) पिछले वर्ष का विवरण (नेट) पिछले वर्ष के खर्चे		
(i) हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन	-	1.02
(ii) विज्ञापन	0.49	0.35
(iii) कन्सलटेनसी	-	0.27
(iv) परीक्षण शुल्क	-	0.05
(v) श्रमिक ठेकेदार को भुगतान	0.60	-
(vi) बिजली एवं पानी	0.23	-
(vii) वैधानिक बकाया—ईपीएफ	0.10	-
(viii) कार्यालय व्यय	0.02	0.02
योग	1.44	1.71
पिछले वर्ष की आय		
(i) अधिक प्रावधान रिटर्न बैक	54.49	27.30
(ii) हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन	-	0.04
(iii) छास	-	-
योग	54.49	27.34
नेट	(53.05)	(25.63)

नोट 20 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
श्रमिकों एवं श्रमिक ठेकदारों को मजदुरी विधायन एवं औटाई व्यय	601.26	621.47
विधायन एवम् पैकिंग सामग्री का उपभोग संयंत्रों की मरम्मत एवम् रख रखाव	87.37	88.38
परीक्षण एवम् प्रमाणीकरण खर्च बिजली व पानी	639.67	593.34
फार्मर्स खर्च	71.73	49.95
यात्रा व्यय (निदेशकों के खर्च एवं सिटिगे फीस सम्मिलित)	242.08	188.75
डाक, तार एवम् टेलीफोन	92.41	101.11
विज्ञापन	5.99	-
बीमा	30.25	27.17
पुस्तक एवम् पत्रिकाएं	7.19	8.95
किराया, कर व दर	52.90	82.26
मनोरजन	49.70	37.98
अंकेक्षकों को भुगतान	0.72	0.74
फाईलिंग शुल्क	14.36	15.58
मुद्रण एवम् लेखन सामग्री	4.43	2.98
बिजली व पानी	18.54	4.62
मरम्मत एवम् अनुरक्षण (अन्य)	2.38	4.35
वाहनों की मरम्मत एवम् अनुरक्षण	67.57	1.82
ए.जी.एम. एवम् अन्य सभा व्यय	65.90	16.33
कार्यालय व्यय	9.63	66.90
स्टेट रिनिवल फण्ड में अंशदान	69.46	3.06
सुरक्षा प्रहरी व्यय	15.19	17.53
आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क	209.03	15.19
वैधिक व्यय एवम् पेशेवर शुल्क	4.36	188.03
सी.एस.आर. में अंशदान	42.73	3.57
ठेकेदार को भुगतान (ऑपरेटर/डाइवर/सहायक)	22.21	14.01
बीजों का परिवहन, उत्तराई, चढ़ाई आदि	79.86	14.15
भाड़ारण व्यय	355.66	57.07
संवर्धन एवम् प्रचार व्यय	193.19	273.03
क्षतिपुर्ति	3.26	227.49
बैंक प्रभार	5.33	10.74
मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान	2.30	-
विविध देनदारों एवं ऋण एव अग्रिम की तरफ डुबत ऋण अपलिखित का प्रावधान डूबत ऋण अपलेखन	-	1.22
	68.91	51.00
योग	3,142.94	11.08
		2,858.04

नोट 21 डेफर्ड टैक्स (दायित्व) / सम्पत्ति

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
नेट डेफर्ड कर (दायित्व) सम्पत्ति वर्ष के प्रारम्भ में	250.89	308.07
जोड़िये/घटाये :— डेफर्ड कर प्रभाव वर्ष के दौरान कर प्रभाव जिन पर डेफर्ड टैक्स दायित्व बनता है। स्थाई सम्पत्तियों पर बुक शेष टैक्स का अन्तर डेफर्ड जिस पर कर के लिये डेफर्ड कर दायित्व का कर पर प्रभाव @ 29.12 प्रतिशत	(52.67)	(92.38)
कर का प्रभाव डेफर्ड कर सम्पत्तियों के लिये ग्रेच्यूटी एवं अन्य कर्मचारियों के लिये प्रावधान दुबत ऋण एवं अग्रिम के लिये प्रावधान आयकर एक्ट 1961 की धारा 40 (अ) (।), 43 ब के अन्तर्गत डिसअलाइन्स स्थाई सम्पत्ति पर टैक्स शेष का अन्तर डेफर्ड कर सम्पत्ति का टैक्स पर प्रभाव	(15.34)	(26.90)
शुद्ध डेफर्ड कर (दायित्व) / सम्पत्ति वर्ष के अन्त में	14.24	(115.06)
कुल रिवर्सल डेफर्ड कर सम्पत्ति का	68.91	11.08
	24.21	(30.28)
शुद्ध डेफर्ड कर (दायित्व) / सम्पत्ति वर्ष के अन्त में	259.76	250.89
कुल रिवर्सल डेफर्ड कर सम्पत्ति का	8.87	(57.18)

नोट 22 अन्य नॉन चालू सम्पत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सरकार से वसूली योग्य अनुदान	2.17	2.17
योग	2.17	2.17

नोट “23” महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ :

(अ) कम्पनी के बारे में सूचना :-

भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की मदद से राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई एवं इसके दूसरे चरण के तहत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड दिनांक 28 मार्च 1978 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत केन्द्र सरकार एवं राजस्थान की राज्य सरकार और स्थानीय किसानों की संयुक्त होल्डिंग के साथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापना की गई। कम्पनी ने व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद दिनांक 26 मई 1978 से अपना व्यवसाय शुरू किया। हमारी कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U75132RJ1978SGC001781 है। केन्द्र सरकार और राजस्थान की सरकार एवं स्थानीय किसान कम्पनी के शुरूआती सदस्य थे।

(ब) लेखा नीतियाँ :-

- लेखाकान का आधार:-** वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अन्तर्गत प्रोधभूत विधि का प्रयोग करते हुये भारत में सामान्यतया: प्रचलित लेखा सिद्धान्तों एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मय इसके अन्तर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप बनाये गये हैं।
- अनुमानों का उपयोग:-** प्रस्तुत अवधि के वित्तीय विवरण में सामान्यतया: प्रचलित लेखा सिद्धान्तों के आवश्यकता अनुसार प्रबन्धन द्वारा अनुमान मानते हुएं आय एवं व्यय का प्रभाव एवं इस दिन के वित्तीय विवरण सम्पत्तियाँ एवं दायित्व मय संदिग्ध दायित्व को लिया गया है। वास्तविक एवं अनुमानित परिणाम के अन्तर को उस अवधि में लिया जाता है, जिसमें परिणाम मालूम हो।
- सम्पत्ति प्लॉट एवं औजार :-** स्थायी सम्पत्तियाँ (राज्य सरकार से प्राप्त मुफ्त भूमि के अलावा) को लागत पर, या निर्माण लागत या पुस्तक मूल्य में से संचित ह्वास एवं इम्पेयरमेन्ट यदि कोई हो तो घटाते हुए लिया जाता है। पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन 1,35,83,243/- पूर्व वर्ष के 24 दुकानों के थे जो कि इस वर्ष में पूर्ण हुये एवं स्थायी सम्पत्ति के ऑफिस बिल्डिंग में जोड़ा गया है।
- ऋण लागत:-** कम्पनी ने बैंक से कार्यशील पूंजी के लिये लिमिट ली हुयी है। ऋण लागत को अवधि में खर्च के रूप में लिया गया है, जिस अवधि में खर्च हुआ है।
- स्टॉक:-**
 - बीज:-**
 - प्रमाणित एवं आधार बीज** का अगले वित्तीय वर्ष 30 अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) को देखते हुये प्रत्यक्ष लागत (स्वंयं के उत्पादन की स्थिति में क्रय मूल्य में विधायन उपरिव्यय जोड़ते हुए किया जाता है। जैसा कि संचालक मण्डल द्वारा प्रति क्विंटल निर्धारित है, सीधे क्रय की स्थिति में क्रय मूल्य में 3 प्रतिशत क्रय खर्च जोड़ते हुए एवं संयुक्त स्कन्ध की स्थिति में औसत के अनुसार) या बाजार मूल्य जो भी कम हो के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
 - प्रजनक बीजों का मूल्यांकन** क्रय लागत (इस पर प्राप्त अनुदान को घटाने के बाद) या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।
 - रॉ बीजों का मूल्यांकन** क्रय दर पर किया गया है।
 - अनुपयोगी और अमानक बीजों का मूल्यांकन** अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।
 - कॉटन बीजों प्रमाणित, आधार, रॉ तथा कॉटन लिन्ट** (सह उत्पाद) का मूल्यांकन अनुमानित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।
 - पैकिंग एवं विधायन सामग्री का मूल्यांकन** लागत मूल्य पर किया गया है। इसके अलावा उपयोग/अमानक माल, जिनकी वसूली योग्य मूल्य का पता उस समय लगता है, जबकि उनको निलाम किया जाता है।

(स) इकाईयों के द्वारा स्टॉक रजिस्टर मैन्यूवल संधारित किया जाता है।

6. ह्वास :-

- (अ) कम्पनी द्वारा ह्वास कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत चार्ज किया गया है। ह्वास कम्पनी के द्वारा रु. 2,56,72,521 / – चालू वर्ष में किया गया (पिछले वर्ष रु. 2,46,50,186 / –)
- (ब) अधिकतर संयंत्र एक ही पारी में चलते हैं। कुछ विधायन संयंत्र कुछ दिनों के लिये दोहरी पारी में चलते हैं, जिसका मुख्य कारण बीजों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत समय पर विधायन करना है। हांलाकि कम्पनी के द्वारा ह्वास की दर एक पारी के अनुसार चार्ज की है।
- (स) वर्ष के दौरान स्थाई सम्पत्तियों के बिक्री से राशि रु. निल प्राप्त हुये हैं। (पिछले वर्ष रु. 3,00,000 / –)

7. रेवन्चू :-

- (अ) समस्त प्रकार के बीजों की बिक्री को लेखों में बिक्री कर, जीएसटी, मण्डी कर एवं व्यापारिक छूट के अतिरिक्त दर्शायी गई है। कृषि विभाग से प्राप्त विपणन अनुदान को बिक्री का हिस्सा माना गया है।
- (ब) विपणन अनुदान के लिये विभिन्न वर्गों के लिए सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि विभाग के द्वारा वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं, लेकिन निर्धारित लक्ष्यों के विपरित अधिक वितरण होने के कारण वर्ष 2021–22 में विपणन अनुदान की राशि रु. 1,86,66,746 / – की आय कम्पनी के द्वारा कृषि भिंग के द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना में अनुदान की आय कम कर दी गयी है। (पिछले वर्ष रु. निल / –)
- (स) सीएसएस अनुदान :- 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुदान का पूर्णभरण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अनुदान की राशि प्रमाणित बीज की बिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है।

8. क्रय :-

- (अ) बीजों के स्वयं द्वारा प्रोक्यूरमेंट को लेखों में लेखांकन तभी किया गया है जबकि उनके अंकुरण रिपोर्ट का प्रमाणिकरण हो चुका है एवं अन्य सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। संयंत्र पर दिये गये बीजों के विरुद्ध बीज उत्पादकों को दी गई अग्रिम राशि का क्रय होने पर ही समायोजन किया जाता है।
- (ब) सीधी क्रय को कम्पनी द्वारा बीज प्राप्त होने पर ही लेखों में लिया गया है।
- (स) प्रत्येक मौसम में संचालक मण्डल के निर्णयानुसार रॉ बीज क्रय को कम्पनी को बीज प्राप्त होने पर ही अभिलिखित किया गया है। ढैंचा, मक्का एवं तिल का बीज रॉ आधार पर क्रय किया गया है।

9. विधायन एवं पैकिंग सामग्री का उपयोग :-

- (अ) विधायन एवं पैकिंग सामग्री के उपयोग का समायोजन प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान की गई क्रय को जोड़ते हुये कम्पनी के पास वर्ष के अन्त में उपलब्ध भौतिक अन्तिम स्टॉक को घटाने के पश्चात प्राप्त शेष के आधार पर किया गया है।
- (ब) वर्ष के दौरान क्रय किये गये स्टोर व स्पेयर्स का उपभोग मान लिया है।

10. विक्रय/क्रय की दरों में यदि कोई विवाद होने पर उनका लेखों में समायोजन निपटारा होने वाले वर्ष में किया गया है।

11. कर्मचारी परिलाभ :-

- (अ) ग्रेच्यूटी:- भुगतान के संचालन हेतु कम्पनी द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2008–09 में नकद एक्यूमेलेथिन सामूहिक प्रावधारी एवं पॉलिसी के

बजाय वर्ष 2008-09 में सामूहिक प्रावधायी एवं नकद एक्यूमेलेशन पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं। और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ब) अवकाश नकदीकरण:- कम्पनी के द्वारा जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं, और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

12. अनुदान-सहायतार्थ :-

(अ) स्थाई सम्पत्ति विशेष हेतु प्राप्त सहायतार्थ पूंजीगत अनुदान को उपयोग के वर्ष में ही सम्बन्धित स्थायी सम्पत्ति की मूल लागत में से घटाया गया है।

(ब) कृषि विभाग से प्राप्त उत्पादन अनुदान का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया गया है।

(स) कृषि विभाग से प्राप्त विपणन अनुदान का लेखांकन अनुदान के योग्य प्रमाणित बीजों की वास्तविक बिक्री सम्बन्धित उप निदेशक (कृषि) से प्रमाणन के आधार पर किया गया है।

(द) भारत सरकार से प्राप्त सीड बैंक योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण लागत प्रतिपूर्ति का लेखांकन कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के वर्ष में किया गया है।

(य) कृषि विभाग से प्राप्त बीज उपचार के लिये अनुदान का समायोजन राशि प्राप्त होने वाले वर्ष में किया जाता है।

13. **डैफर्ड कर सम्पत्ति / दायित्व** :- कर लाभ एवं बुक लाभ के समायांतर के लिए डैफर्ड टेक्स का लेखांकन तुलन पत्र की तिथि को कर की दरों एवं लागू होने वाले कानूनों या होने जा रहे कानूनों का प्रयोग करते हुये किया गया है। डैफर्ड कर, सम्पत्तियाँ जो कि उस उचित निश्चितता की सीमा तक बनाई गई हैं कि वह सम्पत्तियाँ भविष्य में लेखांकित होंगी।

14. **सम्पत्तियों की हानि** :- सम्पत्तियों के पेटे से राशि प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में समीक्षा कर रहे हैं। अगर वहां कोई है तो वह हानि आन्तरिक / बाह्य कारकों पर आधारित है। जब सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि हानि से अधिक है तो परिसम्पत्ति की पहचान होती है। परिसम्पत्ति की हानि को लाभ-हानि खाते में उसी वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में सम्पत्ति पर हानि होती है। यदि वसूली योग्य राशि का अनुमान में बदलाव होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में हानि के रूप में पहचान होती है।

15. आय प्रति अंश :-

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
1.	साम्य अंशधारियों के लिये एक्यूटर्सबेलेट आयें।	रु. 17,78,73,189/-	रु. 10,50,35,176/-
2.	अंशों की संख्या	759976	759976
3.	आय प्रति अंश	234.05	138.21

(स) लेखों पर टिप्पणी :-

16. संदिग्ध दायित्व राशि जो प्रावधित नहीं की गई :-

(1) निम्नलिखित संदिग्ध मागों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
(अ)	अन्य- विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिक, बीज उत्पादक, जो कि उपयुक्त न्यायलय में लम्बित है।	रु. 24,10,80,816/-	रु. 24,64,94,406/-

(2) विभिन्न सहायता/अनुदान के विरुद्ध संविदाएं जिनको सम्पादित किया जाना बाकी है की अनुमानित राशि जो कि राशि रु. निल है (पिछले वर्ष रु. निल)

17. कराधान :—

आयकर, वैट, जी.एस.टी. लिटीगेशन के अन्तर्गत दायित्वों को अन्तिमीकरण वाले वर्ष में अभिलिखित किया गया है।

18. सभी प्रकार के प्रमाणित बीजों के क्रय विक्रय एवं अन्तिम संक्षय में सत्य चिन्हित बीजों का क्रय—विक्रय एवं अन्तिम संक्षय भी सम्मिलित है। क्रय, विक्रय में आन्तरिक फार्म लेन—देन भी सम्मिलित है जो कि ठेके पर दिया हुआ है।

19. फार्म में उत्पादन से आय में लीज किराया एवं अन्य विविध फार्म उत्पादन की बिक्री सम्मिलित है।

20. राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को स्थानांतरित संयंत्र व मशीनरी एवं भवन का मूल्यांकन तदर्थ आधार पर किया गया है एवं कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित भूमि को शून्य मूल्य पर लिया गया है। उपरोक्त पर मूल्य हास तदर्थ मूल्य पर चार्ज किया गया है।

21. 53.26 लाख रु. राशि का पूँजिगत कार्य प्रगतिधीन से स्थायी परिसम्पत्ति सकल ब्लाक (प्रशसनिक भवन) वर्ष 1989—90 में स्थानान्तरित किया गया है ऐसे भवन का अधिग्रहण एवं कब्जा कम्पनी द्वारा कर लिया गया है। कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

22. रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजर:— लेखा मानक 18 में वर्णित अनुसार कम्पनी ने उसके निदेशकों के साथ कोई लेन—देन नहीं किया है।

23. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को दिये गये भुगतान को सम्बन्धित लेखों का शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2022 को	समाप्त वर्ष 31.03.2021 को
1.	वेतन एवं भत्ते	रु. 26,52,445/-	रु. 23,46,183/-
2.	यात्रा व्यय	रु. 31,933/-	रु. 7,200/-
3.	चिकित्सा पुर्नभरण	रु. 51,800/-	रु. 23,084/-
	योग	रु. 27,36,178/-	रु. 23,76,467/-

24. अंकेक्षकों को वर्ष के दौरान भुगतान का विवरण :—

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2022 को	समाप्त वर्ष 31.03.2021 को
1.	वैद्यानिक अंकेक्षण शुल्क	रु. 1,30,000/-	रु. 1,30,000/-
2.	कर अंकेक्षण शुल्क	रु. 65,000/-	रु. 65,000/-
3.	खर्चे पुनर्भरण एवं जीएसटी	रु. 2,67,259/-	रु. 2,39,718/-
	योग	रु. 4,62,259/-	रु. 4,34,718/-

25. आई.डी.बी.आई के द्वारा टी.डी.सी. प्रमाण पत्र रु. 53,630/- गलती से वर्ष 1999—2000 में दो बार जारी कर दिया जो कि विविध लेनदारों अन्य में चालू दायित्व शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है।

26. वित्तीय वर्ष 2003—04 से 2008—09 कम्पनी ने राज्य नवीनीकनरण कोष में अंशदान नहीं किया हैं क्योंकि राजकीय उपक्रम विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2009—10 के दौरान राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा अंश पूँजी का 2 प्रतिशत या 20 लाख रुपये जो भी कम हो की मांग प्राप्त हुई है। इसलिये कम्पनी के द्वारा रु. 15,18,572/- का प्रावधान कर दिया गया है। (पिछले वर्ष 15,18,572/-)

27. (अ) कम्पनी के द्वारा अवकाश नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी वर्ष 2007—08 के दौरान ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2022 का पूर्वदत्त मानते हुये

राशि रु. 22,44,027/- कम्पनी के द्वारा शेष रहे कर्मचारियों के लिये वर्ष 2018 में एक अन्य पॉलिसी ली गई, जिसका दायित्व एलआईसी के द्वारा 31.03.2022 तक राशि रु. 19,08,891/- का दायित्व बताया गया।

(ब) कम्पनी के द्वारा वर्ष 2008-09 में भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप ग्रेच्यूटी कम एश्योरेंश पॉलिसी के बजाय ग्रुप ग्रेच्यूटी कैश अक्यूमलेशन स्कीम पॉलिसी ली गई है, जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2022 तक का भुगतान किश्तों में आपसी समझोते के अनुसार किया जाना है, जो कि वर्ष के दौरान रूपये 18,93,690/-। कम्पनी के द्वारा शेष रहे कर्मचारियों के लिये वर्ष 2018 में एक अन्य पॉलिसी ली गई, जिसका दायित्व एलआईसी के द्वारा 31.03.2022 तक राशि रु. 29,39,398/- का दायित्व बताया गया।

(स) स्कीम का विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	अवकाश नकदीकरण स्कीम	ग्रुप ग्रेच्यूटी स्कीम
(अ) सर्विस लाभ का वर्तमान मूल्य	रु. 3,91,12,379/-	रु. 6,68,52,676/-
(ब) सम्पत्तियों का मूल्य वर्ष के अन्त में	रु. 3,49,59,461/-	रु. 6,20,19,588/-
(स) कोष स्थिति (दायित्व) / सम्पत्तियाँ	दायित्व रु. (41,52,918/-)	दायित्व रु. (48,33,088/-)
(द) भुगतान करना है	दायित्व रु. (41,52,918/-)	रु. (48,33,088/-)
(य) प्रारम्भ में प्रावधान किया गया		
(र) खर्च के लिए भुगतान		
(ल) लाभ-हानि खातों में दिखाया गया	रु. 60,77,676/-	रु. 77,80,322/-

28. ओ. पी. पी. योजना के तहत प्राप्त फार्मों के विकास हेतु अनुदान एवं यू.एन.डी.पी. योजना में प्राप्त फण्ड के अन्तर्गत कम्पनी नोडल ऐजेन्सी की तरह कार्य कर रही है।

29. लाभांशः— रूपये 75,92,859/- का प्रावधान एवं राशि रु. निल लाभांश कर प्राप्ति के समय लागू है के लिये खातों में प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष में राशि रु. 75,92,858/- एवं राशि रु. निल)

30 नकद एवं नकद तुल्य :-

(अ) राशि रु. 99000/- (गत वर्ष 99000) नगद एवं बैंक शेष (चालू अस्तियाँ) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया है जो कि बैंक एम. टी. (मनी ट्रान्सफर) के माध्यम से कम्पनी की ईकाइयों द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित राशि से सम्बन्धित है और वर्ष 1982-83 से 1986-87 के दौरान संग्रहण खाते में उन बैंकों की प्राप्तकर्ता शाखाओं के द्वारा 31 मार्च 2022 तक पावती नहीं की। कम्पनी द्वारा 2000-01 में उक्त वसूली के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरुद्ध सिविलसूट दायर किया लेकिन वर्ष 2003-04 के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा दावा खारीज कर दी गई है। जिसके लिए द्वितीय अपील माननीय एच्च न्यायालय में की गई। निर्णय अभी लम्बित है।

(ब) कम्पनी अवधि पार चैक को (जो कि पार्टी के द्वारा नहीं लगाये गये) उनको डैड चैक में स्थानान्तरित करती है।

31. लीज पर फार्म :-

(अ) राज्य सरकार के द्वारा कृषि फार्म भूमि पूर्व के वर्षों में लीज-होल्ड आधार पर आवंटित किये गये थे। लीज रेन्ट का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा नहीं किये जाने के कारण कम्पनी के द्वारा लीज रेन्ट का दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।

(ब) कम्पनी के द्वारा फार्म के विकास पर किये गये खर्चों को लाभ हानी खाते से चार्ज किया गया है। चाहें वह रेवन्यु या खर्च हों।

32. कम्पनी के प्रबन्धन के द्वारा वर्ष के दौरान के डुबत ऋण पेटे राशि रु. 68,90,505/- (पिछले वर्ष 11,08,268/-) का प्रावधान किया गया है, जिसमें से विविध देनदारों की तरफ रु 87,00,461/- रिवर्ट किये गये हैं। (पिछले वर्ष -20,57,490/-) एवं बीज उत्पादकों की तरफ रु. -18,09,956/- (पिछले वर्ष 28,09,626/-) एवं ऋण एवं अग्रिम के पेटे राशि रु. निल (पिछले वर्ष 3,56,132/-) थे।

33. भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी “आय पर कर के लिए लेखाकांन” के सम्बन्ध में लेखा मानक-22 (AS-22), जिसे बनाना दिनांक 01.04.02 से आवश्यक हुआ है, महत्वपूर्ण समय में अन्तर का संचय कर प्रभाव परिणामस्वरूप डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियों एवं दायित्व एवं उन मदों जिनके कारण ये अन्तर उत्पन्न हुये, का विवरण निम्न है:-

	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 01.04.2021 को	चालू वर्ष (चार्ज) / जमा	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 31.03.2022 को
अ. डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ —अवकाशनकदीकरण	3,47,883	8,61,446	12,09,329
— डुबत ऋण	3,34,88,041	20,06,515	3,54,94,556
— ग्रेचूटी हेतु प्रावधान	5,24,761	5,66,939	10,91,700
योग (अ)	3,43,60,685	34,34,900	3,77,95,585
ब डैफर्ड टैक्स (दायित्व) / सम्पत्तियाँ —ह्यास स्टेट नवीनीकरण कोष	(88,40,674) (4,31,392)	(15,33,715) (10,13,791)	(1,03,74,389) (14,45,183)
योग (ब)	(92,72,066)	(25,47,506)	(1,18,19,572)
शुद्ध डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) (अ)+(ब)	2,50,88,619	8,87,394	2,59,76,013

34. (अ) निदेशक कृषि लिफ्ट सिंचाई :— लिफ्ट सिंचाई हेतु रु. 6.06 लाख पत्रांक एफ 4 (2) बजट / प्लान / 89-90 / 22 दिनांक 6.04.1989 के द्वारा दिनांक 07.06.1989 को राशि प्राप्त हुई। राशि रु. 5.93 लाख अभी तक भी उपयोग किये जाने हैं।

(ब) बाजरा बीज के लिए उत्पादन अनुदान :— निजी बीज उत्पादकों के द्वारा हाईब्रिड बाजरा बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के द्वारा जारी स्वीकृति पत्रांक एफ (24) (277) / डीए / आरकेवीवाई / 2010-11 / 15569-578 दिनांक 28.03.2011 के द्वारा राशि रु. 3.00 करोड़ की राशि दी गई थी जो कि अभी तक उपयोग नहीं हो पाई है। इसलिए इसे अनुदान वापसी योग्य सरकार को चालू दायित्व के अन्तर्गत दिखाया गया है।

35. वर्ष 2006-07 के दौरान रु. 6.26 लाख विभिन्न कृषकों को अच्छी गुणवता का बीज विक्रय करने की वजह से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जो कि मै0 रियल मार्केटिंग जलना एवं मै0 साँई सीड्स कारपोरेशन, आन्ध्रप्रदेश के द्वारा सप्लाई किया गया था। निगम द्वारा इन आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 21.05.07 को रु. 27.33 लाख का दावा किया गया। अनिश्चितता के कारण इसको खातों में नहीं लिया गया। न्यायालय के पास अभी तक इस केस का निर्णय लम्बित है।

36. 31 मार्च 2022 को कम्पनी के तरफ छोटे एवं लघु उपक्रमों के कोई देयतायें नहीं हैं जो कि 45 दिन से अधिक बकाया है। यह सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध विवरण के आधार पर दी गई है जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दी जानी आवश्यक है।

37. वर्ष 2013-14 के लिये रही अनपेड डिवेडेन्ड की राशि क्रमशः रु. 93,390/- को वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और सुरक्षाकोष में जमा करवायी गई। इसके शेयर स्थानांतरित नहीं किये गये।

38 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर निती के पेटे राशि रु. 22,21,469/- का प्रावधान वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा किया गया है। (पूर्व वर्ष राशि रु. 14,15,508/-)

39. विगत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के आंकड़ों के तुलनीय बनाने के दृष्टिकोण से जहाँ आवश्यक हो को पुनः ग्रुपिंग / पुनः व्यवस्थित / पुर्नगणना की गई है।

40. विविध देनदार, लेनदार, ऋण एवं अग्रिम, सिक्यूरिटी जमा, चालू दायित्व, अदत्त दायित्व, कृषि विभाग के पास जमा, रिवोलिंग फण्ड एवं बीज बैंक को उनके पुस्तक मूल्यों पर लिया गया है। सम्बन्धित से पुष्टि / मिलान किया जाना लम्बित है।

(अ) पिछले वर्षों के नियमित आधार पर कम्पनी के द्वारा 03 वर्ष के पूर्व के देनदारों एवं बीज उत्पादकों की तरफ बकाया राशि के लिए डुबट ऋण मानते हुए खातों में प्रावधान बनाया जाता है।

(ब) मैसर्स जे.के. एग्री जैनिटिक्स लिमिटेड की तरफ कानूनी केश चल रहा है, जिसको चालू दायित्व के अन्तर्गत विविध देनदार माल के पेटे अन्डरलिटिगेसन में दिखाया गया है जो कि वाणिज्यिक कोर्ट, जयपुर में मामला चल रहा है एवं जिसका स्टेटस अभी बकाया है।

(स) व्यापारिक देयताएँ आयुवार सारांश

31.03.2022

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	1209.35
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

31.03.2021

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	2983.76
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

नोट : व्यापारिक देयताओं का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण आयुवार विभाजन नहीं किया जा सका।

(ब) व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य आयुवार सारांश

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)					योग (रु. लाखों में)
	06 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
31.03.2022						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	2333.72	587.64				2921.36

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)					योग (रु. लाखों में)
	06 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
31.03.2022						
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई हैं।	-	-	477.16	244.12	-	721.28
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि अच्छी मानी गई हैं।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई हैं।	-	-	-	-	1098.90	1098.90
31.03.2021						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि अच्छी मानी गई हैं।	1230.47	540.47	-	-	-	1770.94
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई हैं।	-	-	606.34	223.47	-	829.81
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि अच्छी मानी गई हैं।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियाँ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई हैं।	-	-	-	-	1011.90	1011.90

41. अनुदान उपयोग का विवरण:—

(राशि रूपये में)

		31.03.2022	31.03.2021
अ	पूँजीगत अनुदान		
1.	इन्फारस्ट्रक्चर अनुदान (गोदाम)	-	1,05,00,000/-
2.	सीड़ बैंक अनुदान (गोदाम)	-	-
ब	आयगत अनुदान		
1.	उत्पादन अनुदान	22,44,46,113/-	43,01,34,725/-
2.	विपणन अनुदान	27,91,46,469/-	13,45,77,536/-
3.	सी.एस.एस.	13,20,72,057/-	8,45,51,893/-
4.	एन.एफ.एस.एम. (प्रमाणित बीज)	22,77,28,034/-	21,65,46,060/-
5.	सीड़ बैंक की व्यवस्था	17,85,000/-	71,61,930/-

42. आंकड़ों को निकटतम रूपयें में अंकित किया गया है।

43. (अ) निगम के पास विभिन्न किस्मों का बीज कुल मात्रा 50352 किवंटल 31.03.2022 को थी (पिछले वर्ष 86006 किवंटल) जो कि बीज उत्पादकों से लिया गया था एवं जो कि ग्रेडिंग एवं प्रमाणिकरण की प्रक्रिया में था। निगम के द्वारा इसके पेटे बीज अग्रिम राशि रु. 31,97,52,257 /— (पिछले वर्ष 50,58,50,101 /—) था।

(ब) रबी बीजों का स्टेटस (फीट / अनफिट) अक्टूबर-2022 तक का लिया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक की मूल्य में राशि रु. 196.34 लाख से कम किया गया है।

44. पूर्व अवधि की मदें :— पिछले वर्ष के आधार पर, पिछले वर्ष की आय राशि रु. 54,49,359 (पिछले वर्ष रु. 27,33,680 /—) एवं खर्च राशि रु. 1,44,760 /— (पिछले वर्ष रु. 1,70,850 /—)।

45. सेंगमेन्ट रिपोर्टिंग :— सीड सेंगमेन्ट ही मुख्य गतिविधि है।

46. लेखा मानक 17 जो कि सेंगमेन्ट रिपोर्टिंग के लिए है जिसमें कम्पनी को सभी तरह के खर्चें जो कि स्थायी सम्पत्तियाँ एवं इन्टेलिजिबल सम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए खर्चें की गई हैं। उनका लेखा भौगोलिक अनुसार रखा जाना था। हालांकि कम्पनी के द्वारा स्थायी सम्पत्ति एवं इन्टेलिजिबल सम्पत्तियों को भौगोलिक आधार पर नहीं रखा गया है। इसलिए हम लेखा मानक 17 के अनुसार सेंगमेन्ट रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

47. आयकर विभाग के दौरान वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.12.2019 में राशि रु. 2,18,82,718 /— की आय को जोड़ा गया, जिसको निगम के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं सीआईटी अपील के यहाँ उसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है।

48. लेखांकन अनुपात

क्र.सं.	विवरण	अंश	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021	अन्तर का कारण
		हर			
(अ)	चालू अनुपात	चालू सम्पत्तियाँ	2.84	2.30	देनदारों की अधिक वसूली होने के कारण कम्पनी की तरलता में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अनुपात में वृद्धि हुई है।
		चालू दायित्व			
(ब)	ऋण अंश अनुपात	ऋण	-	-	कम्पनी के पास कोई दीर्घकालीन ऋण नहीं है और किसी भी प्रकार का डिबेंचर जारी नहीं किया गया हुआ है। इस प्रकार ऋण इकिवटी अनुपात लागू नहीं होता है।
		अंश			
(स)	अंश प्रतिफल अनुपात का	लाभ कर पश्चात्	10.76%	7.08%	बढ़े हुए राजस्व के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है और प्रति भाग उच्च देनदार वसूली के कारण सी.सी.सीमा की ब्याज लागत में गिरावट आई है।
		औसत अंश पूँजी			
(द)	व्यापारिक प्राप्तियाँ टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध उधार बिक्री	8.82	7.98	अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।
		औसत व्यापारिक प्राप्तियाँ			
(य)	शुद्ध पूँजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	टर्नओवर	1.82	2.03	अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।
		कार्यशील पूँजी			
(र)	शुद्ध लाभ अनुपात	लाभ कर पश्चात्	6.47%	3.94%	बढ़े हुये राजस्व के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है और प्रतिपक्ष पर उच्च ऋण वसूली के कारण सी.सी.लिमिट की ब्याज लागत में गिरावट हुयी है। साथ ही साथ परिवर्तनीय लागत में वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और बढ़े हुये राजस्व के लिए निश्चित स्तर रहता है।
		कुल बिक्री			

(ल)	चुकता पूँजी पर रिटर्न	कार्यशील लाभ कुल चुकता पूँजी	0.19	0.15	अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।
(व)	विनियोग प्रतिफल	लाभ कर पूर्व विनियोग का आंशिक मूल्य	2.34	1.38	अनुपात इस कारण से बढ़ा है कि पिछले वर्षों के लिए निवेश का प्रारम्भिक मूल्यांकनकर्ता स्थिर है और दूसरी ओर लाभ में वृद्धि हुई है। 1.6 बार।

49. आयुवार पूँजी कार्य प्रगतिधीन

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	-	-	-	-	-
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

31.03.2021

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	135.83	0	-	-	135.83
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

50. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VI के भाग II के अनुच्छेद तीन और चार के क्रम में अतिरिक्त सूचनाएँ निम्नानुसार हैं:-

राजस्थान स्टेट सीडीस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781
31 मार्च 2022 को स्टॉक विवरण

(अ)

	प्रमाणित बीज	आधार एवं प्रजनक बीज	राई	बेकार एवं न्यून बीज	रों/ग्रेडेड बीज
	2021-22	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21
प्रारम्भिक स्टॉक					
मात्रा (किंव.)	167243	40098	18447	14446	-
मूल्य (रु.)	464326283	191900003	72714135	64272906	-
परियाहारीन माल					
मात्रा (किंव.)	-	-	-	-	35382
मूल्य (रु.)	-	-	-	-	53970
खरीद / जोडा वर्ष के दोरान					
मात्रा (किंव.)	414348	467522	38471	57045	79486
मूल्य (रु.)	1546717438	2024751048	198785754	276504145	34602
कनवर्जन (किंव.)	2302	3158	9772	13932	
बिक्री					
मात्रा (किंव.)	415788	309435	42318	54248	-
मूल्य (रु.)	2291459076	2289658943	161976916	218788450	-
कनवर्जन (किंव.)	9772	13932	2302	3158	-
बेकार (किंव.)	68180	20002	8109	9572	
अन्तिम स्टॉक					
मात्रा (किंव.)	89941	167243	13893	18447	-
मूल्य (रु.)	309221056	464326283	56653950	72714135	-
परियाहारीन माल					
मात्रा (किंव.)	-	-			
मूल्य (रु.)					
कमी (किंव.)	212	166	68	-2	-
					192
					487

नोट:-

- वर्ष के दोरान निल विच0 कपास क्रय की गई (पिछले वर्ष निल), जिसमें राई – निल विच. बीज – निल विच. और निल विच. न्यून बीज (पिछले वर्ष राई निल बीज निल न्यून बीज निल उत्पाद बनाये गये। जिसका मूल्य प्रमाणित बीज रों कपास एवं अन्य मात्राओं में रों/ ग्रेडेड बीजों में सम्मिलित है।
- उपरोक्त दरायी गई मात्रा 31 मार्च के हिसाब से ली गई है, जबकि इसका मूल्यांकन प्रतिवर्ष 30 अप्रैल की स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) के आधार पर किया गया है। मात्रा को विवरत्तित किया गया है।
- प्रमाणित बीजों के क्रय मूल्य में क्रय व्यय सम्मिलित है, एवं उत्पादन अनुदान घटाने के पश्चात है।
- प्रमाणित बीजों में पूर्णांकित किया गया है।
- प्रमाणित बीजों के क्रय मूल्य में क्रय व्यय सम्मिलित है, एवं उत्पादन अनुदान घटाने के पश्चात है।

ब. विधायन संयंत्र की संस्थापित क्षमता व उपयोग का विवरण :—

		2021-22	2020-21
1.	संस्थापित क्षमता (किंव. में)	2074000	2009000
2.	क्षमता का उपयोग (किंव. में)	535543	596151

स. अन्य सूचनाएँ :—

अ.	आयातित कच्चा माल एवं स्पेयर पार्ट्स एवं पूंजीगत माल का मूल्य	शुन्य	शुन्य
ब.	रायल्टी, नो-हाउस पेशेवर, परामर्श फीस ब्याज एवं अन्य मालों के पेटे विदेशी मुद्रा में व्यय	शुन्य	शुन्य
स.	आयातित कच्चे माल इत्यादि का मूल्य	शुन्य	शुन्य
द.	लाभांश इत्यादि के पेटे विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि	शुन्य	शुन्य
य.	विदेशी मुद्रा में आय	शुन्य	शुन्य

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VI के भाग IV की अनुपालना में तुलन पत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय प्रोफाईल निम्नानुसार है :—

1.	पंजीयन विवरण	राज्य कोड : 17
	पंजीयन नं.: 1781	
	तुलन—पत्र दिनांक 31.03.2022	
2.	वर्ष के दौरान पूंजी में वृद्धि (राशि लाखों में)	
	सार्वजनिक निर्गम : निल	राईट निर्गम : निल
	बोनस निर्गम : निल	निजी नियोजन : निल
3.	निधि के स्रोत एवं उपयोग की स्थिति (राशि लाखों में)	
	साम्य और दायित्व: 26742.85	सम्पत्तियाँ : 26742.85
	निधि का स्रोत : 16537.89	नॉन चालू सम्पत्तियाँ : 3431.93
	नॉन चालू दायित्व: 2001.98	चालू सम्पत्तियाँ : 23310.92
	चालू दायित्व : 8202.98	विनियोग : शुन्य
4.	कम्पनी का मूल्याकांन (राशि लाखों में)	
	टर्न ओवर : 27844.44	कुल खर्च : 25401.63
	लाभ हानि (कर एवं विगत वर्ष मद पूर्व):	लाभ/हानि (कर पश्चात):
	लाभ : 2442.81	लाभ : 1778.73
	आय प्रति अंश (रु.) : 234.05	लाभांश दर : 10 प्रतिशत
5.	मुख्य उत्पाद / कम्पनी की सेवाओं के तीन जैनरिक नाम (आर्थिक दशानुसार):—	
	आईटी.टी.सी. कोड न. 120900 (आई.टी.सी. कोड)	
	उत्पादन विवरण : बीज उगाने के लिए (नोट 1 से 23 तक हस्ताक्षरित)	

ह/- राकेश मामनानी कम्पनी सचिव M.No. F8834	ह/- मन मोहन मीणा वरिप्रबन्धक (वित्त)	ह/- के.सी.मीणा महाप्रबन्धक	ह/- सीताराम सैनी निदेशक	ह/- जसवंत सिंह प्रबन्ध निदेशक	ह/- धीरज गुर्जर अध्यक्ष
			DIN No. 09011840	DIN No. 08383856	DIN No. 09657457

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स FRN No. 002803C

ह. /—

(अभिषेक शर्मा) भागीदार

एम.एन. नं. 079224

UDIN : 22079224BDXEIP1452

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

G-2, Plot No.- L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-Scheme,
Jaipur-302005, Rajasthan
Phone : 0141-2360700, Mail : gopalsharmaco@gmail.com

***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*****To**

The Members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited.
Report on the audit of the financial statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Rajasthan State Seeds Corporation Limited (“the Company”), which comprise the balance sheet as at March 31, 2022, and the Statement of Profit and Loss and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph ,the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 („Act“) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022, its profit and cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified opinion

We draw attention to the following matters described herewith:

- i. Refer para no. 5 (a) of Note no. B of “ Significant Accounting Policies & Notes to Accounts” regarding Valuation of inventories, the Certified and Foundation seeds are valued at prime cost or market price whichever is lower by considering their status report (Fit/Unfit) as on 30th April of next financial year, However in financial year 2021-22 the company has considered the status report (Fit/Unfit) of the seeds as on 30th October 2022 for the purpose of valuation of inventory, which is not in line with the company“s Accounting policy. Resultant, the valuation of inventoriesunder current assets are understated by Rs.196.34 lakhs and the profit for the year (Reserves and Surplus) is also understated by Rs. 196.34 lakhs.

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor“s responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are

independent of the Company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701- Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company. However, we draw attention to following matters related with the financial statements:

1. Refer para no. 40 of Note No. -C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts" in respect of unreconciled/unconfirmed balances of Loans and Advances, Trade Payables, Trade Receivables, Security Deposits, Receivables on account of Grants and other Current liabilities and current assets.
2. Refer para no. 40(C) of Note No. -C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts" in respect of Trade Payables ageing summary, As per the amendment dated 24th March 2021 for Schedule-III ageing schedule for Trade Payables was required to be given, However the company has not provided the ageing due to non-availability of details.
3. The company is still practicing the policy of inter-unit transfer of seeds with approval of respective plant manager / HO and transferring the inventory from one unit to another only on quantity basis without taking into effect the monetary value. Thus the individual profitability of the units could not be determined.
4. The company has strict directives for cash sales only to the private dealers and credit sales can be made only to the government agencies/customers. It is observed that credit sales has been made to private parties too during the year. However, the company has made recovery of interest on credit sales from the private dealers.
5. The company has stated in Para No. 14 of Note No.-A of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts" that the management has reviewed as on balance sheet date about impairment of assets as per Accounting Standard – 28. However, in the absence of procedure and valuation adopted for impairment of Property, plant & equipment by the company, we are unable to comment whether any impairment loss has remained un-assessed or un-provided for in accordance with Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets".

6. Refer para no. 38 of Note No. - C of " Significant Accounting Policies & Notes to Accounts" regarding Corporate Social Responsibility, the company has made the provision for CSR of Rs. 22,21,469/- as per section 135(5) of Companies Act, 2013 and spent Rs. 16,42,524/- in respect of CSR activities. The company has unspent amount of Rs. 14,80,553/- which should have been transferred to notified fund specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 as per section 135(6) of the act, however, the company has not transferred the unspent amount to the notified fund within the prescribed time limit, which is non-compliance of the CSR provisions as per Companies Act, 2013.
7. Refer to Note No. 3 in respect of Other Long-term liabilities including revolving fund for drought prone area for Rs. 2.60 crore, the company has not maintained separate account for their utilization. Therefore, we are unable to comment on the utilization of the same as required documents were not available with the company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including

Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free

from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged

with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. Based on Information and explanations given to us and verification of Records of the Company, our report on Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Companies Act, 2013 is given in Annexure "B".
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - (c) The balance sheet, the statement of profit and loss, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

- (c) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
- (d) Being Government Company pursuant to notification no. GSR 463 (E) dated 05/06/2015 issued by Ministry of Corporate Affairs; the provisions of section 164(2) of the Act are not applicable to the Company.
- (e) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;
- (f) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197 (16) of the Act, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act; and
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;
 - a. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Financial Statements – Refer Para No. 16 to the Financial Statements.
 - b. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
 - c. The Company has transferred Rs. 93,390/- to the Investor Education and Protection Fund during the year being unpaid dividend amount for the FY 2013-14. However, corresponding shares have not been transferred.

**For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C**

sd/-
Abhishek Sharma
Partner
Membership No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

Place: Jaipur
Date : 23-11-2022

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

G-2, Plot No.- L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-Scheme,
Jaipur-302005, Rajasthan
Phone : 0141-2360700, Mail : gopalsharmaco@gmail.com

**ANNEXURE (A) TO THE AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in paragraph 1 of our report of even date under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" to the members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited on the financial statements as of and for the year ended March 31, 2022)

Based on our audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements of the Company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit and to the best of our knowledge and belief, we report that:

(i) In respect of Asset

- (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of Intangible Assets.
- (b) The major Property, Plant and Equipment of the company have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year and no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) According to the information and explanation given to us, the title deeds of the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) are held in the name of the company except the administrative building as reported in note para no. (21) of Note No.-C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts".
- (d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.
- (e) According to the information and explanation given to us, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder during the year.

In respect of Inventory

- (a) The management has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year, on the basis of representation made to us, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. As informed to us, any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were not noticed on such verification.
- (b) The company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, the quarterly returns or statements were filed by the company with banks or financial institutions and are in agreement with the books of account of the Company.

- (iii) The Company has during the year, not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, the provisions of clauses 3(iii) of the Order are not applicable.
- (iv) The company has not granted any loan, made investment, given guarantees as explained to us. Further, the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied by the company.
- (v) The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits under the directives of the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder, where applicable. Accordingly, the provisions of clause 3 (v) of the Order are not applicable.
- (vi) To the best of our knowledge and belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services. Accordingly, the provisions of clause 3(vi) of the Order are not applicable.
- (vii) (a) The Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities. Further, no undisputed amounts payable in respect thereof were outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) The dues outstanding in respect of Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues on account of any dispute, are as follows:

Name of the statute	Nature of dues	Amount (in Lakhs)	Amount Paid Under Protest	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
INCOME TAX	Income Tax Demand	146.12	-	AY-2017-18	CIT Appeals, Jaipur
INCOME TAX	"	3.03	-	AY-2020	
INCOME TAX	"	67.74	-	AY-2021	
INCOME TAX	"	0.24		AY-2018	
TDS	TDS Demand	0.18		F.Y. -2022-23	
TDS	"	1.85		F.Y. -2021-22	
TDS	"	0.26		F.Y. -2020-21	
TDS	"	0.22		F.Y. -2019-20	
TDS	"	0.20		F.Y. -2018-19	
TDS	"	13.81		Prior Years	

- (viii) According to the information and explanation given to us, company has not surrendered or disclosed any transaction, previously unrecorded in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year. Accordingly, the requirement to report on clause 3(viii) of the Order is not applicable to the Company.
- (ix) The Company has no borrowing, including debt securities during the year; Accordingly, the requirement to report on clause 3(ix) of the Order is not applicable to the Company.
- (x)
 - (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year;
 - (b) According to the information and explanation given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, the requirement to report on clause 3(x) of the Order is not applicable to the Company.
- (xi)
 - (a) According to the information and explanation given to us, any fraud by the company or any fraud on the company has not been noticed or reported during the year;
 - (b) According to the information and explanation given to us, no report under sub- section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;
 - (c) According to the information and explanation given to us, no whistle-blower complaints, received during the year by the company;
- (xii) Company is not a Nidhi company, accordingly provisions of the Clause 3(xii) of the Order is not applicable to the company.
- (xiii) According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that all transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the Accounting Standards and the Companies Act, 2013.
- (xiv)
 - (a) According to the information and explanations given to us, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business;
 - (b) The internal audit reports of the Company issued till the date of the audit report, for the period under audit have been considered by us.
- (xv) According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and accordingly, the provisions of clause 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) The provisions of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) are not applicable to the Company. Accordingly, the requirement to report on clause 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.
- (xvii) According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted we are of opinion that the company has not incurred any cash losses in the financial year and the immediately preceding financial year;
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly, the provisions of clause 3(xviii) of the Order is not applicable;

- (xix) On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that company is incapable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.
- (xx) The company has not transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act.
- (xxi) The reporting under clause (xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

**For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C**

sd/-
Abhishek Sharma
Partner
Membership No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

Place: Jaipur
Date : 23-11-2022

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

G-2, Plot No.- L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-Scheme,
Jaipur-302005, Rajasthan
Phone : 0141-2360700, Mail : gopalsharmaco@gmail.com

**Annexure "C" to the Independent Auditor's Report**

(Referred to in paragraph 2 (f) under „Report on other legal and regulatory requirements” section of our report to the Members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited of even date)

Report on the internal financial controls over financial reporting under clause (i) of sub – section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Rajasthan State Seeds Corporation Limited (“the Company”) as at March 31, 2022, in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The board of directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial control system over financial reporting.

Meaning of internal financial controls over financial reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and
- (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of internal financial controls over financial reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management of override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C**

**Place: Jaipur
Date : 23-11-2022**

**sd/-
Abhishek Sharma
Partner
Membership No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452**

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

G-2, Plot No.- L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-Scheme,
Jaipur-302005, Rajasthan
Phone : 0141-2360700, Mail : gopalsharmaco@gmail.com

**Annexure "B" to the Independent Auditor's Report**

(Referred to in paragraph 2 under „Report on other legal and regulatory requirements“ section of our report to the Members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited of even date)

As required by section 143(5) of the Companies Act 2013, we give a statement on compliance to the Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India as under :

1. According to the information and explanations given to us and on overall examination the company is processing all accounting transactions through IT systems except Stock Records which are still being maintained manually.
2. According to the information and explanations given to us and on an overall examination there is no case of any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
3. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the subsidies/grants have been utilized for the purpose for which it were received and accounted for in consonance with the operational guidelines / terms and conditions attached subject to para 7 under Key Audit Matters in our Independent Auditors report.
4. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Financial Statements of the Company are prepared in the format prescribed in the schedule III to the Companies Act 2013 with adequate disclosures subject to the notes.
5. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Financial Statements of the Company comply with the accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013.
6. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Financial Statements of the Company have been prepared on accrual basis subject to para 1 to 7 under Key Audit Matters of our Independent Auditors report.
7. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the books of accounts together with the vouchers have been kept in good order.
8. According to the information and explanations given to us a statement of pending legal/arbitration cases as at the year-end is enclosed as part of the notes to the financial statement. However, age-wise analysis of pending legal/arbitration cases including reasons for pendency is not made available by the Company.
9. Apart from the qualifications and key audit matters reported in the auditor's report and CARO-2020 answered in negative or with a qualification, there are no other matters included in the auditor's report.

10. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the closing stock of old seeds have been valued as per their status report taking into account the deterioration in the quality.
11. According to the information and explanations given to us, the Company's pricing policy for marketing of seeds was legitimate and rational for effective achievement of its objectives.
12. According to the information and explanations given to us, the sale of seeds as grain by the company was on the basis of certification of State Testing Laboratories and with declaration from the buyer that it is not for human consumption.
13. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Company is regularly monitoring receipts of subsidy from Government. It is further informed during discussions that the some outstanding subsidies from Government is due shortage of budget allocation in the previous years.
14. According to the information and explanations given to us, Interest earned on parking of funds received for specific purpose from Government was accounted for properly.

For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C

sd/-
Abhishek Sharma
Partner
Membership No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

Place: Jaipur
Date : 23-11-2022

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED
ANEXNURE "A" TO DIRECTORS REPORT

REPLY TO AUDITOR'S REPORT 2021-22

Audit Report (Basis for Qualified opinion)

1. This fact has been already mentioned in Note No.-23 significant accounting policies and Notes on Accounts at Point No. (43) B.

(Key Audit Matter)

1. These are continuous/running account we are trying for receiving conformation.
2. Statement of fact needs no comments.
3. The company is following same practice since beginning. As per accounting policy & practices of the Corporation. Individual unit's Profit & Loss Accounts Statement is not prepared as a part of Annual Report / Financial Statement. Stock Transfers are therefore not recorded at monetary value. For internal reporting, individual profit & loss are/and / or may be calculated but the same is not part of accounts of the Corporation.
4. Goods sold on credit to Govt. Department only. Goods sold to Dealers on credit for which interest has been recovered from them and adjusted accordingly in books of account.
5. At present no impairable assets as on 31.3.2022 as per A.S. 28 In future if any assets exist impairable. We will follow norms as per A.S. 28.
6. The matter will be presented before the CSR Committee and necessary action will be taken accordingly.
7. Revolving fund of Rs. 2.60 Crore was made available to RSSC in the Year 1995 for the basic purpose of Seed Production Programme in DPAP area of the State. This amount has been shown in current liabilities at Note No.-3 and it will be refunded to Government as and when demanded.

Annexure "A" to Independent Audit report.

- (i) to (xxi) Statement of fact needs no comments.

Annexure "C" to Independent Audit report.

Statement of fact needs no comments.

Annexure-(B) to independent Audit report.

Point No. (1) to (14) Statement of fact needs no comments.

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

Balance Sheet As At 31st March 2022

	Particulars	Note No.	Figures for the current reporting period ended	Figures for the Previous reporting period ended
			31.03.2022	31.03.2021
			₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
A	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Shareholders' Funds	1	759.29	759.29
	(a) Share Capital	2	15,778.60	14,072.56
	(b) Reserves and Surplus			
	(c) Money Received Against Share Warrants		-	-
			16,537.89	14,831.85
2	Share Application Money Pending Allotment		-	-
3	Non-Current Liabilities			
	(a) Long-Term Borrowings	3	-	-
	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)	4	1,912.12	1,912.12
	(c) Other Long-Term Liabilities		-	-
	(d) Long-Term Provisions		89.86	41.56
			2,001.98	1,953.68
4	Current Liabilities			
	(a) Short-Term Borrowings	5	-	1,102.88
	(b) Trade Payables	6	1,209.35	2,983.76
	(c) Other Current Liabilities	7	6,170.08	5,614.41
	(d) Short-Term Provisions	8	823.55	396.76
			8,202.98	10,097.81
	TOTAL		26,742.85	26,883.34
B	ASSETS			
1	Non-Current Assets			
	(a) Property Plants & Equipments			
	Tangible Assets	9A	3,170.00	3,273.39
	Capital Work-In-Progress	9A	-	135.83
	(b) Non-Current Investments		-	-
	(c) Deferred Tax Assets (Net)	21	259.76	250.89
	(d) Other Non-Current Assets	22	2.17	2.17
			3,431.93	3,662.28
2	Current Assets			
	(a) Current Investments			
	(b) Inventories	10	4,751.51	7,079.19
	(c) Trade Receivables	11	3,642.64	2,600.75
	(d) Cash and Cash Equivalents	12	5,459.94	1,869.47
	(e) Short-Term Loans and Advances	13	9,365.99	11,632.79
	(f) Other Current Assets	14	90.84	38.86
			23,310.92	23,221.06
	TOTAL		26,742.85	26,883.34
	See accompanying notes forming part of the Financial Statements	23		

sd/-
Rakesh Mamnani
Company Secretary
M.No. F8834sd/-
Man Mohan Meena
Sr. Manager (Fin.)sd/-
K.C. Meena
General Managersd/-
Sitaram Saini
Director
DIN No 09011840sd/-
Jaswant Singh
Managing Director
DIN No. 08383856sd/-
Dheeraj Gujar
Chairman
DIN No. 09657457

As per our separate report of even date annexed hereto,

For Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002803Csd/-
(Abhishek Sharma) Partner
M.No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

Statement of Profit And Loss for the year ended 31st March, 2022

	Particulars	Note No.	Figures for the current reporting period ended	Figures for the Previous reporting period ended
			31.03.2022	31.03.2021
			₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
A 1.	Revenue From Operations (Net)	15	27,527.61	26,692.37
2	Other Income	16	316.83	415.92
3	TOTAL REVENUE (1+2)		27,844.44	27,108.29
4	Expenses			
	(a) Cost of Material Consumed		-	-
	(b) Purchase of Stock-in-Trade	17A	17,455.03	23,012.55
	(c) Changes in Inventories of FG, WIP and Stock-in-Trade	17B	2,514.13	-2,530.05
	(d) Employee Benefits Expenses	18	1,715.22	1,593.70
	(e) Finance Cost	19	317.58	540.65
	(f) Depreciation and Amortisation Expenses	9B	256.73	246.50
	(g) Other Expenses	20	3,142.94	2,858.04
	TOTAL EXPENSES		25,401.63	25,721.39
5	Earnings Before Exceptional & Extraordinary Items, Tax (EBIT) (3 - 4)		2,442.81	1,386.90
6	Exceptional Items		-	-
7	Profit / (Loss) Before Extraordinary Items and Tax (5 - 6)		2,442.81	1,386.90
8	Extraordinary items		-	-
9	Profit before Prior Period Items and Tax (7 - 8)		2,442.81	1,386.90
10	Prior Period Income/(Expense)	19 (iii)	53.05	25.63
11	Profit / (Loss) before Tax (9 - 10)		2,495.86	1,412.53
12	Tax Expense:			
	(a) Current Year Tax		726.00	305.00
	(b) Previous Year Tax		-	-
	(c) Deferred tax	21	-8.87	57.18
13	Profit / (Loss) from continuing operations (11 - 12)		1,778.73	1,050.35
B.14	DISCONTINUING OPERATIONS			
(i)	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (Before Tax)		-	-
(ii)	Gain / (Loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
(iii)	Add / (Less): Tax Expense of Discontinuing Operations		-	-
	(a) On Ordinary Activities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
	(b) On gain / (loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities		-	-
15	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (14(i) + 14(ii) + 14(iii))		-	-
	TOTAL OPERATIONS		-	-
16	Profit / (Loss) for the Year (13 - 15)		1,778.73	1,050.35
C.	Earnings per share (of 234.05 each):			
	(a) Basic			
	Continuing operations		234.05	138.21
	Total operations		234.05	138.21
	(b) Diluted			
	Continuing operations		234.05	138.21
	Total operations		234.05	138.21
17	Earnings per share (excluding extraordinary items) (of 234.05 each):			
	(a) Basic			
	Continuing operations		234.05	138.21
	Total operations		234.05	138.21
	(b) Diluted			
	Continuing operations		234.05	138.21
	Total operations		234.05	138.21
	Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	23		
	See accompanying notes forming part of the Financial Statements			

sd/-

Rakesh Mamnani
Company Seceretary
M.No. F8834

sd/-

Man Mohan Meena
Sr. Manager (Fin.)

sd/-

K.C. Meena
General Manager

sd/-

Sitaram Saini
Director
DIN No 09011840

sd/-

Jaswant Singh
Managing Director
DIN No. 08383856

sd/-

Dheeraj Gujar
Chairman
DIN No. 09657457

As per our separate report of even date annexed hereto,

For Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002803C

sd/-

(Abhishek Sharma) Partner
M.No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPOARTAION LIMITED
CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

Particulars	Figures as at March 31, 2022	Figures as at March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before Tax for the year	2,495.86	1,412.53
Adjustments for :		
Depreciation	256.73	246.50
Excess Income Tax Provisions/Demand related to previous year	3.24	64.45
Depreciation/Amortization adjustments related to previous year	-	-
Interest income	-25.00	-27.04
Interest & Finance Charges	317.58	540.65
Bad debts written off	68.91	11.08
Income relating to earlier years		
Operating Profit before working capital changes	3,117.32	2,248.17
(Increase)/ Decrease in Sundry Debtors	-1,128.89	1,511.29
(Increase)/ Decrease in Inventories	2,327.67	-2,628.99
(Increase)/ Decrease in Loans & Advances	2,232.91	4,343.23
Increase/(Decrease) in Trade and Other Payables & Provisions	-2,316.11	-3,820.25
Cash Generated from Operations	4,232.90	1,653.45
Taxes Paid	305.00	315.00
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES (A)	3,927.90	1,338.45
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	-17.50	-333.54
Purchase of Capital WIP	-	-135.83
Increase/ (Decrease) in Non Current Assets	-	-
Increase/ (Decrease) in Non Current Liabilities	48.30	-88.65
Interest Received	25.00	27.04
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	55.80	-530.98
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from Share Capital	-	0.00
Dividend paid	-75.65	-92.16
Interest paid	-317.58	-540.65
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES (C)	-393.23	-632.81
Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	3,590.47	174.66
Cash and Cash equivalents being Cash and Bank balances as at the beginning of the year	1,869.47	1,694.81
Cash and Cash equivalents being Cash and Bank balances as at the end of the year	5,459.94	1,869.47

Note- Cash and Cash equivalents includes Rs. 7.84 Lakhs- (previous year Rs. 7.56 Lakhs) on account of unclaimed dividend, and Rs. 0.99 Lakhs (Previous year Rs. 0.99 Lakhs) on account of collection a/c which are not available for use by the company.

sd/-
Rakesh Mamnani
 Company Secretary
 M.No. F8834

sd/-
Man Mohan Meena
 Sr. Manager (Fin.)

sd/-
K.C. Meena
 General Manager

sd/-
Sitaram Saini
 Director
 DIN No 09011840

sd/-
Jaswant Singh
 Managing Director
 DIN No. 08383856

sd/-
Dheeraj Gujar
 Chairman
 DIN No. 09657457

As per our separate report of even date annexed hereto,

For Gopal Sharma & Co.
 Chartered Accountants
 FRN No. 002803C

sd/-
 (Abhishek Sharma) Partner
 M.No. 079224
 UDIN : 22079224BDXEIP1452

Note 1 Share capital

	PARTICULARS	OPENING BALANCE	ADDITIONS	DEDUCTIONS	CLOSING BALANCE ₹ in Lakhs
	AUTHORISED SHARE CAPITAL				
	3900000 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	3900.00	0	0	3900.00
	100000 PREFERENCE SHARES OF RS.100 EACH.	100.00	0	0	100.00
	ISSUED SHARE CAPITAL				
	849543 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	849.54	0	0	849.54
	SUBSCRIBED AND FULLY PAID-UP CAPITAL				
	759976 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	759.98	0	0	759.98
Less:	CALLS UNPAID*	0.69	0	0	0.69
Less:	FORFEITED SHARES	-	-	-	-
	TOTAL	759.29	-	-	759.29

* Calls Unpaid on 875 (Previous Year 875) Equity Shares.

(I) RECONCILIATION OF SHARES

TYPE OF SHARES	As on 31 March 2022		As on 31 March 2021	
	NO. OF SHARES (Figures in Lakhs)	₹ in Lakhs	NO. OF SHARES (Figures in Lakhs)	₹ in Lakhs
Equity shares				
Shares outstanding at the beginning of the year	7.60	759.98	7.60	759.98
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	7.60	759.98	7.60	759.98
Preference Shares				
Shares outstanding at the beginning of the year	-	-	-	-
Shares redeemed during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	-	-	-	-

(II) LISTS OF SHAREHOLDER'S HOLDING MORE THAN 5% OF SHARES

The name of the shareholder's holding more than 5% shares as on the balance sheet date is given below:

Sr No.	Name of the shareholder	No. of shares held	% of shares held
1	GOVERNMENT OF RAJASTHAN STATE	6.33	83.37%
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION NEW DELHI	1.14	15.00%
	Total	7.47	98.37%

(III) RIGHT AND RESTRICTION ON EQUITY SHARES

Right and restriction on Equity Shares The Company has only one class of Equity Shares having a face value of '100/- per share which are issued and subscribed. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the share holders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of the winding up of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the Company in proportion to the number of equity shares held by the shareholders and the amount paid up thereon.

Note 2 Reserves and Surplus

Particulars	Figures as at March 31, 2022	Figures as at March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Capital Reserve		
Opening Balance	0.45	0.45
Add: Additions During the Year	-	-
Less: Utilised / Transferred During The Year	-	-
Closing Balance	0.45	0.45
(b) General Reserve		
Opening Balance	0.17	0.17
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit and Loss	-	-
Less: Utilised / Transferred During the Year for:	-	-
Issuing Bonus Shares	-	-
Others	-	-
Closing Balance	0.17	0.17
(k) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening Balance	14,071.94	13,033.07
Add: Profit / (Loss) for the Year	1,778.73	1,050.35
Less: Income Tax Demand For Earlier Years	-	1.29
Add: Income Tax Refund/ Excess Provision Return Back For Earlier Years	3.24	65.74
Less : Dividends Proposed to be Distributed to Equity Shareholders	75.93	75.93
Tax on Dividend	-	-
Closing Balance	15,777.98	14,071.94
Total	15,778.60	14,072.56

Note 3 Other Long-Term Liabilities

Particulars	Figures as at March 31, 2022	Figures as at March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Deposit of Agriculture Department	18.14	18.14
(ii) Revolving Fund For Drought Prone Area	260.00	260.00
(iii) Revolving Fund for Seed Bank	8.62	8.62
(iv) Sundry Creditors for Goods (Under Litigation)	1,613.85	1,613.85
(v) Interest Payable Against AG para	10.97	10.97
(vi) Sundry Creditors for others	0.54	0.54
Total	1,912.12	1,912.12

Note 4 Long-Term Provisions

Particulars	Figures as at March 31, 2022	Figures as at March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision for Employee Benefits:		
(i) Provision for Group Gratuity Scheme	48.33	29.62
(ii) Provision for Leave Encashment	41.53	11.94
Total	89.86	41.56

Note 5 Short-Term Borrowings

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash Credit (Secured by Way of Hypothecation of all Movable Property of Every Description Including all Money, Deposit Receipt for Money etc. (On Demand))		-		1,102.88
Total		-		1,102.88

Note 6 Trade Payables

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Trade Payables:				
(i) Sundry Creditors for Goods		1,209.35		2,983.76
Total		1,209.35		2,983.76

Note 7 Other Current Liabilities

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Unpaid Dividends		7.84		7.56
(ii) Other Payables				
(i) Sundry Creditors For Expenses		995.73		253.13
(ii) Sundry Creditors for Others		866.36		844.99
(iii) Sundry Creditors for Capital Goods		21.42		21.26
(iv) Outstanding Liabilities		438.28		451.39
(v) Subsidy Advance		249.67		249.67
(vi) Subsidy Refundable to Govt.		1,064.34		1,183.73
(vii) Subsidy under Central Sector Scheme		-		136.27
(vii) Advances from Customers Against Seed & Others		14.98		14.69
(viii) Seed Growers having Credit Balances		281.68		141.46
(ix) Sundry Debtors having Credit Balance		807.56		892.07
(x) Security Deposits Dealers, Suppliers, Contractors & Wholesellers		719.60		715.37
(xi) Infrastructure Development Subsidy (GOI)		694.25		694.25
(xii) Advances to Employees Unsecured, Considered Good		8.37		8.57
Total		6,170.08		5,614.41

Note 8 Short-Term Provisions

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision :				
(i) Provision for Income Tax		726.00		305.00
(ii) Provision for Proposed Equity Dividend & Tax		75.93		75.93
(iii) Provision for CSR		14.81		9.02
(iv) Provision for doubtful advances		6.81		6.81
Total		823.55		396.76

Note 9 A

PROPERTY PLANTS AND EQUIPMENTS

₹ in Lakhs

Particulars	GROSS BLOCK			DEPRECIATION / AMORTIZATION			NET BLOCK	
	As at April 1, 2021	Addition during the year	As at March 31, 2022	Upto March 31, 2021	For the year	Ded/Adj during the year	Effect on Dep. as per Co. Act, 2013	As at March 31, 2022
TANGIBLE ASSETS								
FREESHOLD LAND	28.42		28.42	-	-	-	-	28.42
LEASEHOLD	245.16		245.16	-	-	-	-	245.16
PROCESSING BUILDINGS	1,485.70		1,485.70	602.66	82.30	-	684.96	800.74
PLANT AND EQUIPMENTS	1,389.51	5.88	1,395.39	1,041.05	58.40	-	1,099.45	295.94
FURNITURE & FIXTURES	139.10	8.72	147.82	121.89	6.75	-	128.64	19.18
OTHER VEHICLES	7.93			7.93	7.54	-	7.54	0.39
OFFICE EQUIPMENT	48.49	1.65	50.14	45.67	0.77	-	46.44	3.70
GODOWN	2,031.26		2,031.26	711.49	64.19	-	775.68	1,255.58
STAFF QUARTER	82.33		82.33	54.34	1.35	-	55.69	26.64
STEEL CRATES	1,072.17		1,072.17	916.79	26.34	-	943.13	129.04
COMPUTER	58.05	1.25	59.30	54.15	0.98	-	55.13	4.17
MOTOR CAR	76.35			76.35	68.34	1.61	-	69.95
OFFICE BUILDING	401.90	135.83	537.73	179.88	13.52	-	193.40	344.33
ADMINISTRATIVE BUILDING	53.54		53.54	42.71	0.52	-	43.23	10.31
WELL AT FARM	2.26			2.26	2.26	-	2.26	0.00
TOTAL :	7,122.17	153.33	-	7,275.50	3,848.77	256.73	-	4,105.50
CWIP	135.83	-	135.83	-	-	-	-	135.83
PREVIOUS YEAR TOTAL	6,788.62	333.55	-	7,122.17	3,602.27	246.50	-	3,273.39
							3,848.77	3,186.35

Note (i)

The difference in Written Down Value of Fixed Assets held by the company arising due to estimation of depreciation charged as per Schedule II of Companies Act, 2013 and that already charged to Profit & Loss Account of preceding financial years as per Schedule XIV of Companies Act, 1956 has given effect in previous FY 2015-16. The difference arising consequent to such adjustment was charged off to General Reserves.

Note (ii)

Depreciation calculated on the basis of remaining life of asset and addition in value of asset is treated as new assets and life of such is taken as life of fresh asset and depreciation calculated on the basis of days of put in use.

Note (iii)

Depreciation on assets having value less than 5000 is charged @ 100%

Note (iv)

Addition in the OFFICE BUILDING amounting to Rs. 135.83 Lakhs consists of the final construction cost of the 24 Shops which was during the previous year held under the CAPITAL WIP, since the Completion and Operation orders have been obtained during the F.Y. 2021-22, thus the same has been accounted for as addition in the Fixed assets and necessary depreciation on the same has been charged in the books.

Note 9B Property Plants & Equipments (contd.)

	Particulars	Figures As At 31.03.2022	Figures As At 31.03.2021
	Particulars	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
C. Depreciation and amortisation relating to continuing operations:	Depreciation and amortisation for the year on tangible assets as per Note 9 A	256.73	246.50
	Depreciation and amortisation relating to continuing operations	256.73	246.50

Note 10 Inventories

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Certified Seed	3,092.21		4,643.26	
(b) Foundation & Breeder Seed	566.54		727.14	
(c) Undersize & Rejected Seed	217.71		1,019.79	
(d) Raw Seed and Graded Seed	28.59		28.99	
(e) Cotton Lint				
(f) Processing, Chemical & Packing Material	846.46		660.01	
(g) Stock in Transit				
Total	4,751.51		7,079.19	

Note 11 Trade Receivables

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Trade Receivables Outstanding for a Period Exceeding Six Months from the Date of Due for Payment				
Secured, Considered Good				
Unsecured, Considered Good				
Less than 6 Months	2,333.72		1,230.47	
More than 6 Months	587.64		540.47	
Doubtful/ More than 12 Months	1,820.18		1,841.71	
Less: Provision for Doubtful Trade Receivables	4,741.54		3,612.65	
	1,098.90		1,011.90	
Total	3,642.64		2,600.75	

Note 12 Cash and Cash Equivalents

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash on Hand	0.68		0.61	
(b) Balances with Banks				
(i) In Current Accounts	877.07		1,760.31	
(ii) In Cash Credit Limit Account	4,327.36		-	
(ii) In Collection Account	0.99		0.99	
(c) In Earmarked Accounts				
- Unpaid Dividend Accounts	7.84		7.56	
(d) Remittance in Transit	246.00		100.00	
Total	5,459.94		1,869.47	

(ii) Balances with banks-other earmarked accounts include Rs. 7.84 Lakhs (As at 31 March,2021 Rs. 7.56 Lakhs) Which have restriction on repatriation.

Note 13 Short-Term Loans and Advances

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Advance to Seed Growers	3,197.52		5,058.50	
Less: Provision for Advances	113.18		131.28	
	3,084.34		4,927.22	
(b) Security Deposits				
With Goverments	18.10		18.00	
	18.10		18.00	
(c) Prepaid Expenses - Unsecured, Considered Good	34.02		72.84	
	34.02		72.84	
(d) Balances with Government Authorities				
Unsecured, Considered Good				
(i) Subsidy Recoverable from Government	4,718.00		5,590.26	
(ii) Advance Income Tax	317.07		261.23	
(iii) T.D.S.	21.66		5.64	
(iv) Deposit Under Litigation	4.97		5.80	
(v) Subsidy under Central Sector Scheme	523.86		-	
(vi) Income tax recoverable	213.92		213.38	
	5,799.48		6,076.31	
(e) Sundry Creditors having Debit Balances				
Unsecured, Considered Good	31.81		27.85	
	31.81		27.85	
(f) Others Advances/ Recoverable				
Unsecured, Considered Good	398.24		510.57	
	Total	9,365.99		11,632.79

Note 14 Other Current Assets

Particulars	Figures as at March 31, 2022		Figures as at March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(b) Accrued Farm Income/Other Income	90.84		38.86	
	Total	90.84		38.86

Note 15 Revenue from Operations

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022		Figures for the previous year ended March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Sale of Products:				
(i) Certified Seeds	17,845.85		19,385.35	
(ii) Foundation & Breeder Seed	1,619.77		2,187.89	
(iii) Cotton Lint	-		-	
(iv) Auction Sale	2,993.25		1,607.89	
(v) Marketing Subsidy	2,791.46		1,345.78	
(vi) NFSM Subsidy	2,277.28		2,165.46	
	Total	27,527.61		26,692.37

Note 16 Other Income

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Income (Refer Note (i) below)	25.00	27.04
(b) Other Non-Operating Income (Refer Note (ii) below)	291.83	388.88
Total	316.83	415.92

Note (i)

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Interest Income Comprises:		
Interest from Banks on:		
Saving Bank Accounts	21.53	25.91
Interest on Staff Loan	-	0.04
Other Interest	3.47	1.09
Total - Interest Income	25.00	27.04

Note (ii)

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Other Non-Operating Income Comprises:		
Income From Farms	226.85	207.60
Recovery From Penalty	14.39	54.41
Enrollment Fees	0.45	1.23
Other Receipts	20.80	46.43
Reimbursement of Maintenance Seed Bank Subsidy	17.85	71.62
Auction of Processing Material	11.49	7.59
Total Other Non-Operating Income	291.83	388.88

Note 17 A Purchase of Traded Goods

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Certified Seed	17,614.69	24,362.25
Raw Seed	94.13	171.60
Foundation & Breeder Seed	1,987.86	2,765.04
Purchase Expenses	2.81	15.01
Less: Subsidy for Production	(2,244.46)	(4,301.35)
Total	17,455.03	23,012.55

Note 17 B Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-Trade

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Inventories at the End of the Year:	3,905.04	6,419.17
Inventories at the Beginning of the Year:	6,419.17	3889.12
Net (Increase) / Decrease	2,514.13	(2,530.05)

Note 18 Employee Benefits Expense

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Salary & Allowances	1,373.56	1,319.52
Pension Contribution	34.14	21.97
Medical Expenses	26.99	48.31
Contribution to Medicai Relief Fund	2.15	1.71
Training & Recruitment	-	0.28
Liveries Expenses	0.92	0.38
LIC Goup Gratuity Plan	77.80	41.21
Employers Contribution to PF	112.94	113.83
Leave Encashment	60.78	19.27
EX Gratia to Staff	11.58	9.91
Staff Welfare	10.29	7.11
Incentive to Staff	1.39	2.13
NPS Contribution	1.15	4.69
Gift to Staff	1.03	3.04
CPF Contribution to Govt.	0.50	0.34
Total	1,715.22	1,593.70

Note 19 Finance Cost

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Expense on: (i) Borrowings	317.58	540.65
Total	317.58	540.65

Notes: 19 (ii)

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022		Figures for the previous year ended March 31, 2021	
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Payments to the Auditors Comprises (Net of GST Input Credit, wherever applicable):				
As Auditors - Statutory Audit	1.30		1.30	
For Taxation Matters	0.65		0.65	
Reimbursement of Expenses & GST	2.67		2.40	
Total	4.62		4.35	
(ii) Details of Prior Period Items (net)				
Prior Period Expenses				
(i) H&T	-		1.02	
(ii) Advertisements	0.49		0.35	
(iii) Consultancy	-		0.27	
(iv) Testing Fees	-		0.05	
(v) Payment to Labour Contract	0.60		-	
(vi) Power & Water	0.23		-	
(vii) Statutory Dues - EPF	0.10		-	
(viii) Office Expenses	0.02		0.02	
Total	1.44		1.71	
Prior Period Income				
(i) Excess Provision Written Back	54.49		27.30	
(ii) H & T	-		0.04	
(iii) Depreciation	-		-	
Total	54.49		27.34	
Net	(53.05)		(25.63)	

Note 20 Other expenses

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Wages to Labour & Labour Contractor	601.26	621.47
Processing & Ginning	87.37	88.38
Consumption of Packing & Processing Materials	639.67	593.34
Running & Maintenance of Plant	71.73	49.95
Testing & Certification charges	242.08	188.75
Power and Water	92.41	101.11
Farm Expenses	5.99	-
Travelling Expenses (Including Director Exp & Sitting Fees)	30.25	27.17
Postage Telegram & Telephones	7.19	8.95
Advertisement	52.90	82.26
Insurance	49.70	37.98
Books & Periodicals	0.72	0.74
Rent, Rates and taxes	14.36	15.58
Entertainment	4.43	2.98
Payment to Auditors	4.62	4.35
Filling Fees	2.38	1.82
Printing and stationery	18.54	16.33
Light and Water	2.75	1.55
Repairs & Maintenance others	67.57	66.90
Repairs & Maintenance vehicles	65.90	61.26
A.G.M. & Other Meeting Expenses	9.63	3.06
Office Expenses	69.46	17.53
Contribution to State Renewal fund	15.19	15.19
Security Guard Expenses	209.03	188.03
Internal Audit fees	4.36	3.57
Legal and Professional	42.73	14.01
Contribution to CSR	22.21	14.15
Payment to Contractor (operator/ Driver/Astt.)	79.86	57.07
Handling & Transportation of Seed	355.66	273.03
Storage Charges	193.19	227.49
Promotion & Publicity Expenses	3.26	10.74
Compensation	5.33	-
Bank Charges	2.30	1.22
Donation to CMRF	-	51.00
Provision for Doubtful Trade & Other Receivables, Loans & Advances (net) #	68.91	11.08
Total	3,142.94	2,858.04

Note 21 Deferred Tax (Liability) / Asset

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the beginning of year	250.89	308.07
Add/Less: deferred tax effect during the year		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets	(52.67)	(92.38)
On Expenditure Deferred in the Books but Allowable for Tax Purposes		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability @29.12%	(15.34)	(26.90)
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets		
Provision for Compensated Absences, Gratuity and Other Employee Benefits	14.24	(115.06)
Provision for Doubtful Debts / Advances	68.91	11.08
Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets	24.21	(30.28)
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the end of Year	259.76	250.89
Total Reversal of Deferred Tax Assets	8.87	(57.18)

Note 22 Other Non-Current Assets

Particulars	Figures for the current year ended March 31, 2022	Figures for the previous year ended March 31, 2021
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Subsidy Recoverable From Government	2.17	2.17
Total	2.17	2.17

Note “23” Significant Accounting Policies & Notes on Accounts.

A. COMPANY INFORMATION:-

The Govt. of India with the aim of increasing the agricultural production incorporated the National Seed Corporation with the help of World Bank's International Development agency, and under its second phase incorporation of "Rajasthan State Seeds Corporation Limited was made dated 28th March, 1978 under The Companies Act, 1956 as Public Limited Company with the joint holding of Central Govt. and State Govt. of Rajasthan and Local Farmers. The Company started its business operation with effect from 26th May, 1978 after receiving the Commencement of Business Certificate. The Corporate Identification Number of our Company is U75132RJ1978SGC001781. The Central Govt. and State Govt. of Rajasthan and the Local Farmers were the initial subscriber of the company.

B. ACCOUNTING POLICIES:-

- (1) **Basic of Accounting:-** The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India, and the relevant provisions of the Companies Act. 2013 including accounting standards notified there under.
- (2) **Use of Estimates:-** The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles which requires the management to make estimates and assumptions that affect the income and expenditure during the reporting period and the assets and liabilities including contingent liabilities at the date of financial statements. The differences between actual results and estimates are recognized in the period in which results are known.
- (3) **Property Plant & Equipment:-** Property, Plant and Equipment (other than land acquired free from State Government) are carried at the cost of acquisition or construction or book value less accumulated depreciation and impairment, if any. Further, a capital work-in-progress amounting to 1,35,83,243/- of the previous year at 24 Various shops is completed and added to the value of OFFICE BUILDING fixed assets.
- (4) **Borrowing Costs:-** Company is availing working capital limit from bank. Borrowing Costs are recognized as expense in the period in which these are incurred.
- (5) **Inventories:-**
 - (a) **Seeds:-**
 - (i) Certified and Foundation Seeds are valued at prime cost (which include purchase price plus processing overheads as fixed by the Board on per quintal basis and in case of own production and purchase, price plus 3% as purchase expenses and in case of direct purchases on average of both. If the stocks consist of both of own production and direct purchases) or market price whichever is lower by considering their status report (fit/ unfit) as on 30th April of next financial year
 - (ii) Breeder seeds are valued at purchase cost (minus subsidy received thereon) or market price whichever is lower.
 - (iii) Raw seeds are valued at their procurement price.
 - (iv) Rejected & undersized seeds are valued at estimated realisable value.
 - (v) Cotton seeds including certified, foundation seeds and raw seeds are valued at cost or at net realisable value, whichever is lower and in case of cotton lint (By product) are valued at estimated cost.

- (b) Packing & Processing Material are valued at cost except for used/rejected material which is not valued as its realisable value/cost will be known only at the time of its disposal.

- (c) The units are in a practice of maintaining stock records in a manual register only

(6) Depreciation:-

- (a) Depreciation has been charged on fixed assets as per the provisions of Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013 based on useful life and residual value. Depreciation charged for the current year is INR 2,56,72,521/- (Previous Year INR 2,46,50,186/-)

- (b) Most of the plants are working in single shift. Some of the processing plants are operating in double shifts for a period of few days on account of time bound programmed for the purpose of grading such seeds in time. However, the Company has charged depreciation at the rate applicable to single shift.

(7) Revenue Recognition:-

- (a) Sale of all kinds of Seeds are accounted for after deducting there from the amount of GST, Mandi tax, trade discount etc. Marketing and NFSM subsidy received from the Department of Agriculture has been considered as a part of sale/revenue.

- (b) The distribution quota of different categories of society viz. General, Schedule Caste and Schedule Tribe in distribution of seeds should be as per the rules of Department of Agriculture but historically distribution targets have not been achieved in the proportion to quota fixed by the Department of Agriculture. During the year 2021-22 the company had achieved the distribution targets in proportionate quota higher than targets fixed by Department of Agriculture and thus had passed reverse entry for excess amount of subsidy beyond target. Due to this the Corporation had recognized the amount of Subsidy Income lower by Rs. 1,86,66,746/- In compliance of guideline issued by Department of Agriculture(PY Nil)

- © CSS Subsidy: - 60 % & 40 % Subsidy has been reimbursed from Central Govt. & State Govt. respectively. This amount of the subsidy has been included in sale of Certified Seed.

(8) Purchase:-

- (a) Own procurement of seeds are accounted for when their germination reports are certified and other related formalities in respect thereof are complete. Advances given to seed Growers/Producers against seeds delivered at plant are adjusted only when such purchases are recognized.
- (b) Direct purchases are accounted for on receipt of seeds by the Company.
- (c) Raw seeds seasonal procurement cost is accounted for on their receipts of such seeds by the Company as decided by the Board of Directors at their each seasons Dhencha, Til and Maize are purchased on Raw Basis.

(9) Consumption of the Packing and Processing Materials:-

- (a) Consumption of the packing and processing materials are booked on the basis of balancing figures arrived at by purchases made during the year plus opening stock and deduction of physical closing stock available with the Company at the end of the accounting year.

- (b) Stores & Spares are treated as consumed & charged in Profit & Loss Account in the year in which they are purchased.

- (10) The adjustment of disputes, if any, in respect of sales/purchases prices are accounted for in the year in which they are settled.

(11) Employee Benefit:-**(a) Gratuity:-**

The Company has created a Trust to administer the gratuity payment. The Trust in turn has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation and accordingly the premium is paid by the Company to Life Insurance Corporation as and when fall due.

(b) Leave Encashment:-

The Company has taken Leave Encashment -cum-Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation and accordingly the premium is paid by the Company to Life Insurance Corporation as and when fall due.

(12) Grants in Aid:-

- (a) Capital Grant-in-Aid received for the purpose of acquiring the specific fixed assets are deducted from the original cost of such fixed assets.
- (b) Production subsidy received from The Director of Agriculture is accounted for as per the actual production obtained from the seed growers during the year.
- (c) Marketing subsidy received from The Director of Agriculture is accounted for on the basis of actual sales of certified seeds as considered eligible for subsidy after verification done by the concerned Deputy Director (Agriculture), Govt. of Rajasthan.
- (d) Reimbursement of maintenance cost received from Government of India under the Seed Bank Scheme is accounted for in the year of its sanction by The Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- (e) Subsidy received from Director of Agriculture for the purpose of treatment of seeds is accounted for in the year of its receipt.

(13) Deferred Tax Assets/Liabilities:

Deferred tax being the difference between tax profit and book profit is accounted for using the tax rates and laws for the time being in force or subsequent enacted law as on the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent there is a reasonable certainty that those assets shall be realized in future.

(14) Impairment of Assets: -

The brought forward amount of assets is reviewed as on each Balance Sheet date. If there is any indication of their impairment based on internal/external factors, such asset is considered as impaired and accounted for accordingly. An impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which such asset is identified as impaired.

(15) Earning Per Share :-

S.No	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Earnings attributable to the equity share holder	17,78,73,189/-	Rs.10,50,35,176/-
2	Number of Shares	759976	759976
3	Earnings Per Share	234.05	138.21

C. Notes on Accounts:

(16) Contingent Liabilities not provided for:

(i) No provision has been made in respect of below mentioned disputed demands:-

	Particulars	Current Year	Previous year
(a)	Legal cases and others mainly related to dispute raised by daily workers working at different locations, seed growers etc., as pending before appropriate court.	Rs. 24,10,80,816/-	Rs. 24,64,94,406/-

(ii) Estimated amount of contracts remaining to be executed against various grants/subsidy or otherwise are at Rs. Nil (Previous Year- Nil)

(17) Taxation:-

In respect of various revenue taxation laws such as VAT, Income Tax, G.S.T. the liabilities which are under disputes are accounted for in the year of their finalization and settlement.

(18) Purchase, sale & closing stock of all kinds of certified seeds includes Truthful Label Seeds also. Purchase and sales also include goods produced at farm owned by the Company and given on lease to farmers on contract basis.

(19) Income from farms includes Leased Rent and sale of miscellaneous farm produce so obtained.

(20) Plant & Machinery & Buildings transferred by the State Govt. to the Company have been valued on ad-hoc estimated basis/ Notional Value and shown in the books of account accordingly. The depreciation on the same has been charged on such cost. The land transferred by the State Government to the Company is valued at Nil.

(21) A sum of Rs. 53.26 lakh has been transferred from Capital Works in Progress to Fixed Assets (Administrative Building) in the year 1989 - 1990, acquisition of such building and the possession of the same has been taken over by the Company. The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Company is still pending.

(22) Related party disclosure:-

Company is not having any transactions with its Directors as described in the AS-18.

(23) Payments made to Chairman and Managing Director have been debited to the relevant accounting heads:

		31.03.2022 (Rs.)	31.03.2021 (Rs.)
1.	Salary & Allowances	26,52,445/-	23,46,183/-
2.	Travelling Expenses.	31,933/-	7,200/-
3.	Medical Reimbursement	51,800/-	23,084/-
	Total	27,36,178/-	23,76,467/-

(24) Detail of payments of Remuneration to the Auditors during the year:

		31.03.2022 (Rs.)	31.03.2021 (Rs.)
1.	Statutory Audit Fee	1,30,000/-	1,30,000/-
2.	Tax Audit Fee	65,000/-	65,000/-
3.	GST and Reimbursement of Expenses	2,67,259/-	2,39,718/-
	Total	Rs. 4,62,259/-	Rs. 4,34,718/-

(25) IDBI has wrongly issued T.D.S. Certificate twice at Rs.53,630/- in the year 1999-2000 which was taken in to accounts, has been shown as Sundry Creditors (others)under the head Current Liabilities.

(26) During the period of financial year 2003-04 to 2008-09 the Company did not contribute any fund towards State Renewal Fund as no such demand being raised by Bureau of Public Enterprises. From the Financial Year 2009-2010 BPE has raised demand of 2% of Share Capital or 20.00 lacs whichever is lower. Hence the Company in this respect has made a provision of Rs.15,18,572/- during the year.(Previous Year Rs.15,18,572/-)

(27) (a) The Company has taken Leave Encashment-cum-Assurance Policy in the year 2007-08 in respect of leave encashment as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The liability up to year ended 31.03.2022 is Determination by the Life Insurance Corporation and is Rs. 22,44,027/- Company has also taken another policy for the rest of the employees in 2018 for which liabilities has been ascertained by the LIC up to the Year 31.03.2022 amounting to Rs. 19,08,891/-.

(b) The Company has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy in respect of Gratuity as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The Liability up to 31.03.2022 as determined by the Life Insurance Corporation is to be paid in instalments as per mutual settlement which may be to the Charged of Rs. 18,93,690/- being provided for in the books of account. Company has also taken another policy for the rest of the employees in 2018 for which liabilities has been ascertained by the LIC up to the Year 31.03.2022 amounting to Rs. 29,39,398/-.

(c) The details of such Scheme are as under:-

Particulars	Group Leave Encashment Scheme	Group Gratuity Scheme
(a) Present value of obligation service benefit	Rs.3,91,12,379/-	Rs. 6,68,52,676/-
(b) Fair value of fund at the end of year	Rs.3,49,59,461/-	Rs.6,20,19,588/-
(c) Funded status (Liability)/Assets	Liability Rs. (41,52,918/-)	Liability Rs.(48,33,088/-)
(d) Payment to be made	Liability Rs.(41,52,918/-)	(Rs.48,33,088/-)
(e) Provision already held as Opening		
(f) Payment made as expenses		
(g) Charged in P&L Account	Rs.60,77,676/-	Rs.77,80,322/-

(28) Subsidy received against Farm Development under OPP Scheme and funds received under UNDP Scheme are managed by the Company as Nodal agency.

(29) Dividend:-

Provision for Dividend & Dividend Tax have been made in the book of account at Rs. 75,92,859/- & NIL and now dividend is taxable in the hand of recipient only respectively (Previous Year Rs. 75,92,858/- & Rs. Nil)

(30) Cash and Cash Equivalents:-

- A Sum of Rs. 99,000/- (previous year Rs. 99,000/-) shown under the head "Cash & Bank Balances (Current assets)" which is in respect of the amount transferred by a unit of the Company to its Head Office through Bank M.T. (Money Transfers) and Collection Account during the year 1982-83 to 1986-87 has not been acknowledged by the Transferee Branches of such banks till March 31, 2022. In the year 2000-01 the Company filed a civil suit against the State Bank of Bikaner & Jaipur for the purpose of recovery of the amount but claim was rejected by the Hon'ble Civil Court, Jaipur in the year 2003-2004 for which second appeal has been filed before the Hon'ble High Court. The decision is awaited.
- The Company transfers amount of expired cheques (which are not lodged/claimed by parties) to Dead Cheque ledger account.

(31) Farm on lease:-

- Agriculture farms land was allotted by Government of Rajasthan in earlier year on leasehold basis. In the absence of determination of amount of lease rent by Government of Rajasthan, the Company has not provided any such lease rent liability in its books of account. However, there is no segregation of farm allotted to company from which lease term can be determined.
- Expenses incurred by the Company for the purpose of their development of Farms taken on lease, have been charged to P&L account being considered as revenue expenditure.

(32) The Company has provided a sum of Rs. 68,90,505/- (PY 11,08,268/-) as provision for bad-debts in the year under consideration out of which Rs. 87,00,461/- has been Provided for bad-debts (PY - 20,57,490/-) pertains to Sundry debtors & Rs. (-) 18,09,956/- has been recovered/adjusted (PY 28,09,626/-) pertains to Advances to Seed Grower & Loans and advances by Rs. Nil/- (PY Rs. 3,56,132/-) by the management.

(33) In accordance with the Accounting Standard-22 (AS-22) regarding "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which become mandatory from 1.4.2002, the cumulative tax effects of significant timing differences, that resulted in Deferred Tax Assets & Liabilities are as under :-

(Amount in Rs.)

Particulars	Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 01.04.21	Current year (Charge)/ Credit	Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 31.3.2022
A. Deferred Tax Assets -Leave Encashment	3,47,883	8,61,446	12,09,329
- Bad-Debts	3,34,88,041	20,06,515	3,54,94,556
- Provision for Gratuity	5,24,761	5,66,939	10,91,700
Total (A)	3,43,60,685	34,34,900	3,77,95,585
B. Deferred Tax (Liability)/ Assets - Depreciation - State Renewal Fund	(88,40,674) (4,31,392)	(15,33,715) (10,13,791)	(1,03,74,389) (14,45,183)
Total (B)	(92,72,066)	(25,47,506)	(1,18,19,572)
Net Deferred Tax Assets/ (Liability) (A+B)	2,50,88,619	8,87,394	2,59,76,013

(34) A. DAG Lift Irrigation:-

Vide sanction letter no.F.4(2), Budget/Plan/ 89-90/22 dated 6.04.1989, an amount of Rs.6.06 lakh received on 7.06.1989 for lift irrigation. The amount of Rs. 5.93 lakh is yet to be utilized.

B. Bajra Seed Production Subsidy:-

Vide sanction no. F.(24)(277)/DA/RKVV/2010-11/15569-578 dt. 28.03.2011, an amount of Rs. 3.00 Crore received for hybrid Bajra Seed Production through private seed producers. The amount of Rs. 3.00 Crore is not utilized. Hence this amount has been shown as subsidy refundable to govt. under current liabilities.

(35) In the year 2006-07 an amount of Rs. 6.26 lakh paid to various farmers as Compensation due to supply of poor quality of seeds, which was supplied to RSSCL by M/s Real Marketing, Jalna and M/s Sai Seeds Corporation, Andhra Pradesh. Company has filed suits before the appropriate court and lodged a claim of Rs. 27.33 lakh on dated 21.05.07 against the above suppliers. Necessary accounting treatment will be passed when any award is pronounced by the court.

(36) There is no Micro and Small Enterprises to whom the Company owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at 31st March 2022. This Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of the information available with the Company.

(37) Unpaid dividend amount for the financial year 2013-14 amounting to Rs. 93,390/- has been transferred to Investor Education and Protection fund during the year.

(38) As per Sec 135 (5) of Companies Act, 2013, the company has made the provision for CSR of Rs. 22,21,469/- during the year.(Previous Year Rs. 14,15,508/-)

(39) The figures for the previous year have been regrouped/re-arranged/recanted where ever necessary to make them comparable with those of the current year.

(40) Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks have been taken at their book value irrespective of the fact that confirmation/ reconciliation of such accounts is still awaited.

- The Company is making provision for debtors and Seeds Growers aged more than 3 years treating as doubtful. The company is following this practice for making provision of doubtful debts for past years on regular basis.
- A sum of Rs. 16.13 Crore is shown under the head current liabilities as Sundry Creditors for goods under litigation, which is related to JK Agri Genetics Limited. A legal case in respect of this issue is ongoing and status of which is still pending in the Commercial Court, Jaipur.

c. Trade Payables ageing Summary

31.03.2022

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	-	-	-	-	1209.35
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

31.03.2021

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	-	-	-	-	2983.76
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

Note : Trade Payables has not been bifurcated age wise due to details not available.

d. Trade Receivable Ageing Summary

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment (Rs. in Lakhs)					Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
31.03.2022						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	2333.72	587.64				2921.36
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	477.16	244.12	-	721.28
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1098.90	1098.90

31.03.2021						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	1230.47	540.47	-		-	1770.94
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	606.34	223.47	-	829.81
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1011.90	1011.90

(41) Details of Grant utilization.

(Amount in Rs.)

		31.03.2022	31.03.2021
A	Capital Subsidy		
1	Infrastructure Subsidy (Godown)	-	1,05,00,000/-
2.	Seed Bank Subsidy (Godown)	-	-
B	Revenue Subsidy		
1.	Production Subsidy	22,44,46,113/-	43,01,34,725/-
2.	Marketing Subsidy	27,91,46,469/-	13,45,77,536/-
3.	CSS (GOI+State Govt.)	13,20,72,057/-	8,45,51,893/-
4.	NFSM (C/S)	22,77,28,034/-	21,65,46,060/-
5.	Maintenance of seed bank	17,85,000/-	71,61,930/-

(42) The figures have been rounded off to a nearest rupee.

(43) **a.** The Corporation is holding stock of seeds of various types to in Total to 50352 Qtls as on 31.03.2022 (PY 86006 Qtls.) is supplied by seeds growers and is in process of grading and Certification. The Corporation had made seeds advance of Rs. 31,97,52,257/- (PY 50,58,50,101) to the seed growers on this account.

b. we have taken the Rabi Seed status (Fit/unfit) up to October, 2022, the financial impact of this results in devaluation of stock value by Rs. 196.34 Lakhs.

(44) Prior period items:-

As per past practice, prior period income amounting to Rs. (54,49,359/-) (PY 27,33,680/-) and expenses amounting to Rs. (1,44,760/-) (PY 1,70,850/-)

(45) Segment Reporting: The main activity is only Seed Segment.

(46) As per Accounting Standard 17 on Segmenting Reporting the Company has to maintain proper records showing particulars of total costs incurred during the period for acquisition of fixed assets and intangible assets in respect of geographical segments. However, the company does not maintain particulars as to which asset has been allocated to which geographical segment hence the reporting under Accounting Standard 17 on Segmenting Reporting is not applicable.

(47) The Income Tax Assessment of the corporation for the AY 2017-18 is made vide order dated 23.12.2019 making additions of Rs. 2,18,82,718/- . The Corporation has not accepted the additions and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – 1, Jaipur.

(48) Accounting Ratios

S. No.	Particular	Numerator	March 31, 2022	March 31, 2021	Reason for Movements
		Denominator			
(a)	Current Ratio	Current Assets	2.84	2.30	Due to the excess realisation of the debtors liquidity of the company is being increased thus results in increased Current ratio
		Current Liabilities			
(b)	Debt-Equity Ratio	Debt	-	-	The company does not have any long term loan and any kind of debenture issued thus debt equity ratio not applicable.
		Equity			
(c)	Return on Equity Ratio	Profit After Tax	10.76%	7.08%	The ratio is increased due to the increased revenue and on the counter part there is decline in the interest cost of the CC limit due to higher debtor recovery.
		Average Shareholders' Equity			
(d)	Trade Receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	8.82	7.98	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
		Average Trade Receivables			
(e)	Net capital turnover ratio (in times)	Turnover	1.82	2.03	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
		Working Capital			

(f)	Net profit ratio	Profit After Tax	6.47%	3.94%	The ratio is increased due to the increased revenue and on the counter part there is decline in the interest cost of the CC limit due to higher debtor recovery as well as increase in variable cost is not so significant and Fixed remains constant for the increased revenue
		Total Sales			
(g)	Return on Capital employed	Operating Profit	0.19	0.15	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
		Total Capital Employed			
(h)	Return on investment.	Profit After Tax	2.34	1.38	The ratio is increased due to the reason that Initial Valuer of the Investment is constant for the past years and on the other hand profit has been increase approx 1.6 times.
		Initial Value of Investments			

49. Ageing Summary of Capital Work in Progress:

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	-	-	-	-	-
(ii) Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

31.03.2021

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	135.83	0	-	-	135.83
(ii) Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

(50) Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3 & 4 Part II of the Schedule VI to the Companies Act, 2013 are as under:

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED
CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

DETAILS OF STOCK AS ON 31ST MARCH, 2022

(A)

	Certified Seeds	F/s & B/s Seeds	Cotton Lint	Rejected & U/size	Raw/Graded Seed
	2021-22	2020-21	2020-21	2021-22	2020-21
Opening Stock					
Qty.(Qts.)	167243	40098	18447	14446	
Value(Rs.)	464326283	191900003	72714135	64272906	
Stock in Transit					
Qty (Qts)	-	-	-	-	
Value (Rs.)	-	-	-	-	
Purchases /added during the year:					
Qty.(Qts)	414348	467522	38471	57045	
Value(Rs.)	1546717438	2024751048	198785754	276504145	
Conversion.(Qts)	2302	3158	9772	13932	
Sales:					
Qty.(Qts)	415788	309435	42318	54248	
Value(Rs.)	2291459076	2289658943	161976916	218788450	
Conversion.(Qts)	9772	13932	2302	3158	
Rejected .(Qts)	68180	20002	8109	9572	
Closing Stock					
Qty(Qts.)	89941	167243	13893	18447	
Value(Rs.)	309221056	464326283	56653950	72714135	
Stock in Transit:					
Qty.(Qts.)	-				
Value(Rs.)	-				
Shortage.(Qts)	212	166	68	-2	
				-	
				-	
				192	487

Note:

- Nil Raw Cotton purchased during the year(Previous year Nil), out of this Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc. Nil (Previous year Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc. Nil) products have been manufactured. Value has been included in certified seed of above Raw Cotton and other varieties of Raw/Graded Seed.
- Quantities mentioned above are taken as on 31st March, whereas the valuation of the same has been done as per the status report (fit/unfit) as on 30th April every year. Quantity has been rounded off in Qts.
- Purchases value of certified seed includes purchases expenses and after deducting production subsidy.
- Sales value of certified seed includes marketing subsidy & after deduction of trade discount.

(B) Statement of capacity utilised & Installed capacity:

		<u>2021-22</u>	<u>2020-21</u>
i)	Installed capacity (in Qtls)	2074000	2009000
ii)	Capacity utilized (in Qtls)	535543	596151

(C) Other Information:-

a)	Value of imports in respect of raw material Component and spare parts and capital goods.	Nil	Nil
b)	Expenditure in foreign currency on account of royalty, Know-how, professional. Consultation fees, interest and other matters.	Nil	Nil
c)	Value of imported raw material etc.	Nil	Nil
d)	The amount remitted in foreign currencies on Account of dividend etc.	Nil	Nil
e)	Earning on foreign currencies.	Nil	Nil

Balance sheet Abstract and Company's General Business Profile in pursuance to the part IV of the schedule VI of the Companies Act, 2013 are as under:-

i)	Registration details: Registration No.1781 Balance sheet date 31.03.2022	State code: 17
ii)	Capital raised during the year (Amount in Rs. Lakhs) Public Issue- Nil Bonus Issue-Nil	Right issue-Nil Private placement-Nil
iii)	Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs. Lakhs) Equity and Liabilities: 26742.85 Shareholder Fund 16537.89 Non-current liabilities 2001.98 Current liabilities 8202.98	Assets: 26742.85 Non-CurrentAssets: 3431.93 CurrentAssets: 23310.92 Investment: Nil
iv)	Performance of Company (Amount in Rs. Lakhs) Turn over: 27844.44 Profit/ Loss before Tax: & Prior Period Items Profit: 2442.81 Earnings per share in Rs. 234.05	Total Expenditure: 25401.63 Profit/loss after tax: Profit: 1778.73 Dividend rate: 10%
v)	Generic Names of three principal products/services of Company (as per monetary terms) Item Code No. (ITC Code) 120900 Product description: Seed for sowing. (Signature to Note 1 to 23	

sd/-
Rakesh Mamnani
Company Secretay
M.No. F8834

sd/-
Man Mohan Meena
Sr. Manager (Fin.)

sd/-
K.C. Meena
General Manager

sd/-
Sitaram Saini
Director
DIN No 09011840

sd/-
Jaswant Singh
Managing Director
DIN No. 08383856

sd/-
Dheeraj Gujar
Chairman
DIN No. 09657457

As per our separate report of even date annexed hereto,

For Gopal Sharma & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002803C

sd/-
(Abhishek Sharma) Partner
M.No. 079224
UDIN : 22079224BDXEIP1452

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवानदास रोड, जयपुर-302005
 CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
 Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.com

**Form No. MGT-11
 Proxy form**

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:	U75132RJ1978SGC001781
Name of the Company:	Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.
Registered address:	3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur 302005

Name of the member(s):

Registered address:

Email Id:

Folio No./Client Id:

DP ID:

I/We, being the member (s) of shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature: or failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Forty Fourth Annual General Meeting of the Company, to be held on the Tuesday, 27th Day of December, 2022 at 12:15 P.M. at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM), Durgapura, Jaipur -302 018 (Rajasthan), and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Particulars
1.	
2.	
3.	

Signed this day of 2022

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note:- This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

**Forty Fourth Annual General Meeting on Tuesday,
27th Day of December, 2022 at 12:15 P.M.**

Registered Folio No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Shareholder/ Proxy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. of Shares Held

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


I Certify that I am a member/proxy for the member of the company.

I hereby record my presence at Forty Fourth Annual General Meeting of the Company at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM), Durgapura, Jaipur -302 018 (Rajasthan), on Tuesday, 27th Day of December, 2022 at 12:15 P.M.

Signature of Member/ Proxy

NOTES: Please fill up this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall.

ROUTE MAP OF 44TH ANNUAL GENERAL MEETING:





if Undelivered please return to
RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781
Tel-0141-2227665, 2227514, Fax No.-0141-2227944
www-rajseeds.org